Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri D. S. Patil: I want to speak.

Mr. Deputy-Speaker: Speaking is over it is too late.

Shri A. K. Sen: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14.32 hrs.

HINDI SAHITYA SAMMELAN (AMENDMENT) BILL

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): I beg to move:

"That the Bill to amend the Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The House would recall that in March last, this Bill was passed. But, as soon as the Act came into force, some persons filed a writ petition in the Allahabad High Court and challenged the validity of this Act on the ground that the Act excluded the ordinary members of the Society from being the first members of the Sammelan and therefore they said that this Act infringed their fundamental right to form association.

14.33 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

The reason why we did not include the ordinary members at that time was that there was no complete list and we had envisaged that fresh members could be enrolled after that Act came into force. I am bringing this amendment just as a precautionary measure and I hope that when this provision is made with regard to ordinary members, there would be no further difficulty in enforcing this Act. All that we are doing in this amendment is to make provision for ordinary members and substitute the following sub-section for the existing sub-section 4 of section 4.

I am also taking this opportunity to make some minor amendments. One is with regard to quorum of the meeting of the governing body. The Act makes provision for three members. It is felt that the quorum of 3 is too small. I am, therefore, making it five. Section 9 also provides for the payment to the members on the governing body, out of the funds, a small allowance, etc. There is no provision for the payment of salary. The governing body is to last only for a short time. I am anxious that they should finish the work as quickly as possible. It may be that we may have to ask one or two members to work whole time. I am, therefore, requesting the House to permit this enabling provision to pay salary in case we have to appoint one or two members to discharge the duties and finish the work as quickly as possible.

There is another minor amendment. It has also been felt that the provision for the vesting of property in the Sammelan and the transfer of assets and liabilities of the Society to the Sammelan under sections 5 (b) and 5(c) of the Act may imply that the two institutions are separate. It is,

therefore, proposed to amend the section with a view to clarifying that the new corporation is identical in substance with the Sammelan. These are just a few minor amendments. I am sorry that some people have gone to the High Court challenging the validity of this Act. As the House is aware, this institution has been in difficulty for a long time and has been in the hands of a Receiver. It is my earnest desire that this institution should be restored and it should start functioning in a normal manner. I am hoping that with the precautionary measure that I am taking, the Sammelan would be able to function as we envisaged that it should.

Dr. L. M. Singhvi: (Jodhpur): Mr. Speaker, on a point of clarification . . .

Mr. Speaker: Let me first place the motion before the House. Motion moved:

"That the Bill to amend the Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Dr. L. M. Singhvi: The hon. Minister just now mentioned that in the main legislation, the ordinary members were not included because, I understood him to say, a complete list of such original members of the Society was not available. I should like to know whether such a complete list is now available or the change is being effected in order to take a precaution against the challenge which has been thrown against its validity. Is a complete list now available?

Dr. K. L. Shrimali: As I just now mentioned, this institution has not been functioning for the last several years and one does not know what the position is with regard to the list of members. It is very doubtful whether a complete list may be available. Whatever that may be, I am taking this merely as a precautionary measure.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of order

I invite your attention to clause 4 of the Bill whereby this measure seeks to provide for salary and/or allowance. May I invite your attention to section 6 of the original Act, the Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962, which was passed early last year by the last Parliament, which relates, among other things, to the funds of the Sammelan? There, it is provided that this Sammelan shall perform the following functions, namely: to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government; to receive bequests—with that we are not concerned. The first part is to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government. It provides for payment into the Sammelan fund moneys from the Consolidated Fund of India. It may be argued with regard to this Amending Bill that the funds at the disposal of the Sammelan at present will be utilised for this purpose for payment of salary and allowances. The original Bill had made no mention of salaries. Now, they want to pay salaries also and perhaps, it is likely that they will get more grants, more benefactions from the Government. Therefore, I submit, in the light of this consideration, this Bill becomes a Money Bill. Because, payment of expenditure from the public funds for various items like salaries etc. is involved. But the recommendation of the President has not been obtained for placing this Bill for consideration by Parliament. If you uphold that point of order with regard to the Constitution, as a corollary to that, rule 69 of the Rules of Procedure comes into operation and they should give a financial memorandum with regard to the expenditure involved etc.

Mr. Speaker. Is anything being drawn out of the Consolidated Fund?

Dr. K. L. Shrimali: No, Sir.

Mr. Speaker: Then where are the salaries to come from?

Dr. K. L. Shrimali: From the funds of the Sammelan.

Shri Hari Vishnu Kamath: But they are drawn from the Government funds. The original Act provides for grants, donations and benefactions from the Government. Now they are paying "salaries" in addition to "allowances". Where will the money come to pay for the "allowances"? From the Government funds. He has said so in his speech.

Mr. Speaker: I would request the hon. Member to make it a little more clear. We have to see whether the provisions of the Bill that is before us provide for anything to be drawn out of the Consolidated Fund of India. To that extent, we are restricted. We cannot go into the provisions of the original Bill. There might have been some provision and something might have been given by Government or not given. We do not know as yet whether the Government has given it or not. There was a provision that the funds could be made up of moneys received from various sources, and there are so many sources. We do not know whether actually Government has given anything, whether something has been drawn from the Government. In any case, we are not concerned with that.

The hon. Member wants that this Bill, as it is before us, must be considered as a Money Bill because we are substituting the words "salaries or allowances or both" for the word "allowances". The word "salary" is there. Where can the money for the salary come from? From out of the funds of the Sammelan. The funds of the Sammelan might have been constituted from various sources but a provision in the earlier Act says that Government also can contribute. So, a part of the money of the Sammelan is from the Consolidated Fund of India. That is the argument of the hon. Member. But we have to restrict ourselves to the provision of the Bill that is before us, the Amending Bill. This Bill only says that for the word "allowances" the words "salary or allowances or both" may be substituted. There is no provision in this Bill to draw any money out of the Consolidated Fund of India. Therefore, I do not think I can uphold his point of order, as he desires me to do in this context.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): May we ask the hon. Minister to clarify this point?

Dr. K. L. Shrimali: In fact, I made it very clear at the time of introducing the Bill that the Sammelan has its own income through examination fee etc.

Mr. Speaker: Besides the examination fees and other things that make up the funds of the Sammelan there is a provision in the earlier Act that Government can also contribute.

Dr. K. L. Shrimali: It is only an enabling provision. There is no question of paying the salaries out of the Consolidated Fund. The Sammelan is a corporate body which will pay the salary out of its own funds.

Mr. Speaker: How is that fund made up of?

Shri Hari Vishnu Kamath: That is the point.

Dr. K. L. Shrimali: No regular grants are envisaged at the present moment. May be, on a future date, for development purposes some grants may be given to the Sammelen. But the Sammelan has its own funds and out of its own funds it should be free to pay salaries or allowances or spend the money as it likes.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I say, Sir, that you have put the question very succintly? The funds of the Sammelan are not *swayambhu*. They must come from somewhere.

Dr. K. L. Shrimali: Through examination fees.

Shri Hari Vishnu Kamath: In the original Act it is stated that the money will be drawn from the Government also.

Dr. K. L. Shrimali: It only enables the Sammelan to receive gifts etc.

Shri Hari Vishnu Kamath: From whom?

Dr. K. L. Shrimali: From various sources.

Shri Hari Vishnu Kamath: Including the Government.

Dr. K. L. Shrimali: Yes, including the Government. But that does not mean that Government will give money out of the Consolidated Fund of India.

Shri Hari Vishnu Kamath: But the provision is there.

Mr. Speaker: The wording of article 110 is:

> "(1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions deeling with all or any of the following matters, namely—
>
> (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
>
> (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India........"

Will he kindly indicate which subclause of this article applies in this case?

Shri Hari Vishnu Kamath: Sub-clause (c) says "'the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund".

Mr. Speaker: This amending Bill does not have any such provision. New, does any of the hon. Members of the major parties want to speak on this Bill? I find none. All right. Shri S. M. Banerjee.

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में बहुत दिनों से जो झगड़ा चला आ रहा था, मैं आशा करता हूं कि शायद इस बिल के पास होने के बाद वह कुछ खत्म हो। आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में जब इस सदन में भाषण होंगे, तो मेरी आंखों के सामने स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की तस्वीर आ जायेगी। मैं समझता हूं कि इसी सम्मेलन के द्वारा इस देश में हिन्दी का प्रचार और विकास करने की जितनी कोशिश उन्होंने की थी, उतनी और किसी ने नहीं की। लेकिन मेरे विचार में कुछ इन्हीं झगड़ों के कारण इस सम्मेलन के द्वारा जो काम होना चाहिए था, वह शायद नहीं हुआ।

आज जब हम इस सदन में इस बिल के बारे में विचार कर रहे है, तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में हिन्दी का जो प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, शायद वह आज भी नहीं हुआ। उस के लिए कितनी कोशिश हो रही है, यह माननीय मंत्री जी मुझ से ज्यादा जानते हैं, लेकिन हिन्दी के हक़ में होने के नाते मैं समझता हूं कि जो भी कोशिश हो रही है, वह बहुत ही कम है।

यह एक मानी हुई बात है कि देश की कोई जुबान ऐसी हो, जिस को सब बोल सकें। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य मुझे माफ़ करें, यदि मैं कहूं कि अगर हिन्दुस्तान की कोई एकमात्र जुबान हो सकती है, तो वह हिन्दी ही हो सकती है। इसलिए उस का विकास जितनी भी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। लेकिन हम देखते है कि आज भी जो कुछ भी कोशिशें हो रही है, वे सही दिशा में नही हैं।

[श्री स० मो० बनर्जी]

बहुत बार यह भी देखा गया कि अगर हिन्दी के बारे में हम ज्यादा कहते है, तो कुछ भाई यह कहते है कि ये हिन्दी इम्पोरियलिस्ट्स है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस में हिन्दी इम्पोरियलिज्म का कोई सवाल नहीं है। सवाल तो ऐसी भाषा का है, जो कि आमफ़हम हो। जब उर्दू के बारे में भी इसी तरह का एतराज किया गया था, तो मैं ने इस सदन में कहा था कि उर्दू एक लश्करी जुबान है। जिस वक्त देश में सब लोग एक ही जुबान बोलना चाहते थे और कोई ऐसी जुबान नहीं मिली, तो उर्दू जुबान का जन्म हुआ।

मैं आशा करता हूं कि इस बहस में हिस्सा लेते हुए माननीय मेम्बरान इस बात की तरफ़ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहबाद, के द्वारा ही हिन्दी का पूरा विकास नहीं हो सकता, बल्कि देश में ऐसे बहुत से सम्मेलनों और ऐसी बहुत सी संस्थाओं की जरूरत होगी, जिन के द्वारा हिन्दी देश की वह जुबान बन सके, जो कि आमफहम हो और देश का तमाम राज-काज हिन्दी में चलाया जा सके।

इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजंज में साफ बताया गया है कि इसको चलेंज किया गया था। इसमें लिखा हुआ है :-

"A question as to the validity of the Act has been raised mainly on the ground that the Act excludes from its membership certain ordinary members of the Society."

अगर यही एक कारण था जिस की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी, सम्मेलन ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि उसके टूटने का डर पैदा हो गया था, तो उसको दूर कर दिया जाना चाहिये। लेकिन अगर कुछ और भी कारण थे, तो उनको भी दूर किया जाना चाहिये। आज भी मुझे ज्ञात हुआ है, और मुम्किन है कि यह चीज गलत हो, और अगर यह गलत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कहें कि यह गलत है कि यही एक कारण नहीं था जिससे यह संस्था ठीक नहीं चल सकी या जिस की वजह से वाद विवाद पैदा हो गया या मन-मुटाव पैदा हो गया बल्कि इसके और भी कई कारण थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश हो रही है। लेकिन अगर यही एक कारण था तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसके पास होते ही उन चीजों को दूर कर दिया जायेगा जो आज बाधक बनी हुई हैं

Mr. Speaker: That corner is a part of the House and is subject to discipline by the Speaker.

Shri S. M. Banerjee: I am happy, Sir, that it has become a part of the proceedings.

कुछ तरमीमें, अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र श्री कामत ने पेश की है और मैं समझता हूं कि अगर उनको मान लिया जाये तो कोई बुरा नहीं होगा। एक तरमीम तो उनकी यह है :—

"*For lines* 9 to 15, *substitute*—

"(4) The first members of the Sammelan shall be all those persons who, immediately before the appointed day,—

(a) were members of the Society;

(b) have been Presidents of the Society; and

(c) were awarded the Mangla Prasad Paritoshik by the Society.' "

मेरे ख़याल में इस बिल में तकरीबन तकरीबन यही चीज है, और लफ्जों का ही कुछ हेरफेर है। इस अमेंडमेंट को मानने में मेरे ख्याल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

उनका दूसरा संशोधन जो है, वह इस प्रकार से है :—

"Page 1, line 4,—

for "1962" *substiture* "1963"

मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी का भी यही संशोधन है। उनका संशोधन नम्बर दो है, और इनका नम्बर ३। चूंकि इनका संशोधन नम्बर तीन है और माननीय मंत्री जी का नम्बर दो है, इस वास्ते कहीं ऐसा न हो कि इनको न माना जाये। हम चाहिये कि हम अच्छी परम्पराओं की स्थापना करें। विरोधी सदस्यों की मार्फत जो संशोधन आ रहे है, उनको अगर मान लिया जाये तो यह एक अच्छी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बाद में करने की है—जब क्लाजिज पर बहस होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : हो सकता है कि इस के बाद मुझे वक्त न मिले, इसलिये मैं ने समझा कि अगर मैं अभी इसका ज़िक्र कर दूं तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक आपने नम्बर्ज का ज़िक्र किया है, जिस तरह से नोटिस आते है, उसके मुताबिक नम्बर किया जाता है। लेकिन इनका फैसला तो इसी वक्त नहीं लेना है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं फैसला नहीं चाहता हूं। मैं तो माननीय मंत्री जी से आपकी मार्फत कुछ निवेदन करना चाहता था।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

यह सही है कि देश के सामने एक संकट है, लेकिन फिर भी जो काम उन्होंने शुरू किया था हिन्दी के प्रसार का, और जो पूरा नहीं हो रहा है, वह पूरा कैसे हो सकता है, इस पर विचार करें। यह सही है कि यह संकट हमेशा नहीं बना रहेगा और इस में जीत हमारी होगी और यह निश्चित भी है। आज हम जो नारा देश में लगाते हैं "जय हिन्द" का वह भी हिन्दी भाषा में लगाते हैं। जिस भाषा में यह नारा लगाया जाता है उस भाषा के विकास में, उसके प्रसार में जितनी भी कोशिश की जाये कम है, और मैं समझता हूं कि इस काम में सहयोग देना इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का फर्ज है। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह हम लोगों को इशारा दें इस के बारे में कि हिन्दी आखिर कहां तक पहुंची है, क्या वह उस मंजिल पर पहुंच चुकी है जिस पर उसे पहुंचना चाहिये था और अगर नहीं पहुंची है, तो क्यों नहीं पहुंची है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है, किसका कसूर है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के इतिहास में जिन संगठनों का विशेष योग रहा है, उनमें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भी एक प्रमुख स्थान है। कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र होने के साथ ही जिस भाषा में अपने राज्य की प्रगति के स्वप्न लेता है, वह भाषा कौन हो यह निर्णय लेने की स्थिति जब हमारे सम्मुख थी, तो उस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आन्दोलनात्मक रूप में बहुत बड़ा योग दिया। स्वतंत्रता के पश्चात् जब देश में एक राज भाषा के प्रश्न का निर्णय हो चुका और यह मान लिया गया कि पंद्रह वर्ष के पश्चात् हिन्दी इस देश की राज भाषा बनेगी तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आन्दोलनात्मक रूप से दूसरा अध्याय रचनात्मक कार्य का आया। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में यह गौरवपूर्ण संस्था चली गई जिससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने अपेक्षित उद्देश्य तक न पहुंच सका। भारतीय संसद ने इसको राष्ट्रीय महत्व

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

की संस्था घोषित कर जो एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण निश्चय किया, उसका उस समय भी मैंने स्वागत किया था और उस विधेयक में जो थोड़ी त्रुटि रह गई, उसको जो आप अब संशोधन करके दूर करने जा रहे है, उसके लिये भी मैं सरकार के निर्णय को सराहना करता हूं ।

परन्तु इसके साथ ही साथ एक दो बातें जो मैंने उस समय भी कही थीं आज फिर आवश्यक रूप से कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था आपने घोषित किया है और उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही फिर दुबारा भी आपने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, इससे कहीं ऐसा न हो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो स्वरूप स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अपना एक क्रम रहा है, इस विधेयक के पास होने के पश्चात् वह बदल जाए और वह एक दासी संस्था के रूप में बन कर रह जाएं । यह बहुत बड़ी आशंका है जो न केवल मेरे अपितु देश के हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस विधेयक को स्वीकार करने के पश्चात् इसका जो व्यावहारिक रूप होगा उसमें भी बराबर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा न होने पाए ।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन जन साधारण की संस्था बनी रहे, कुछ व्यक्ति विशेषों की ही संस्था न बनी रहे, या फिर यों कहिए कि कुछ व्यक्ति विशेषों का ही अधिकार इस पर न रहे, जहां तक इस बात की आवश्यकता है वहां जैसा मैंने पहले कहा है कुछ रचनात्मक कार्य करने की की ओर भी अब विशेष पग उठाने की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि देश में जो यह शिकायत बार बार सुनने में आती है कि हिन्दी में विज्ञान का साहित्य नहीं है, या हिन्दी में टैक्नोलाजी का साहित्य नहीं है, यह शिकायत सुनने में न आए इसके लिये सम्मेलन इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मार्ग में जो रुकावटें थीं, वे तो इस विधेयक के पास होने के बाद लगभग अब दूर हो जाती हैं । अब यह बहाना भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पास नहीं रहेगा । जो कार्य दूसरी संस्थायें कर रही हैं, वह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन को तो अपने पुराने इतिहास को सामने रखते हुए और अच्छे रूप में करना चाहिए ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आरम्भ से हिन्दी की परीक्षाओं का भी एक क्रम चलता है और उन परीक्षाओं से हिन्दी के प्रचार में बहुत बड़ा बल मिला है । लेकिन दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा इत्यादि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाद की बनी हुई संस्थायें हैं, परन्तु उन्होंने हिन्दी के प्रचार में जितना बड़ा योग दिया है, उसके लिए जितना उन संस्थाओं की सराहना की जाए थोड़ी होगी लेकिन उसके साथ ही साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी कुछ थोड़ा इस सम्बन्ध में आत्म निरीक्षण करना होगा क्योंकि जो कार्य पहले उसका था, कहीं वह, अपने प्रमुख उद्देश्य से भटक तो नहीं गया जिससे और दूसरी संस्थायें उससे आगे बढ़ गईं । मैं आशा करता हूं कि विधेयक पारित होने के बाद शिक्षा मंत्री महोदय साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का भी निदेश देंगे कि वे इस दिशा में थोड़ा गम्भीरता से सोचें और हिन्दी को सरल और व्यापक रूप देने में भी कार्य करें ।

कल ही हमारे राष्ट्रपति जी ने कलकत्ता में हिन्दी शिक्षा प्रसार समिति का दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा है कि हिन्दी न केवल हमारे देश में व्यापक होती जा रही है, अपितु विदेशों में भी हिन्दी को बड़ी तेजी के साथ सीखा जा रहा है । । मेरा अपना विश्वास

है कि राष्ट्रपति जी का यह कथन कि विदेशों में हिन्दी को बड़ी रुचि के साथ सीखा जा रहा है, यह तो सच है लेकिन अपने देश की स्थिति के सम्बन्ध में वह ठीक नहीं है । इसके लिये हमने पन्द्रह वर्ष की अवधि निर्धारित की थी और कहा था कि इस अवधि के पश्चात् निश्चित उद्देश्य तक वह पहुंच जाएगा । लेकिन अभी इस अधिवेशन में न सही अगले अधिवेशन में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत होने जा रहा है जिसमें अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखने की व्यवस्था की जाने वाली है । वह विधेयक इस संकट-कालीन स्थिति में बड़ा विवादास्पद रूप धारण करेगा । मैंने तो माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया था और मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय भी गृह मंत्री जी तक इस आवाज को पहुंचा दें कि जब तक संकटकालीन स्थिति है, तब तक इस विधेयक को पेश न करें । १९६५ के आने में अभी दो वर्ष और बाकी हैं । इस वास्ते संकटकालीन स्थिति तक कम से कम इस प्रकार का विवादास्पद विधेयक जो भाषा के सम्बन्ध में इस सदन में आने वाला है स्थगित कर दिया जाए । इससे सरकार की नाक नीची नहीं होगी । और देश में कोई विवाद भी नहीं उठेगा ।

जहां तक हिन्दी के प्रचार और हिन्दी क्षेत्र में कार्य का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा कोष तैयार किया है और इससे बहुत बड़ा बल हिन्दी को मिला है । पीछे अभी जब आकाशवाणी से हिन्दी के प्रचार की समस्या का प्रश्न आया तो उस समय भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने शिक्षा मंत्रालय की ओर ही इंगित किया था कि शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार का कोष तैयार कर रहा है जिस में २५,००० शब्द हैं और जिसका आकाशवाणी में भी प्रयोग किया जा सकता है और वहां उन शब्दों को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है । लेकिन मेरा अपना विश्वास साथ ही कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जितना परिश्रम करते हैं, वह सारा केवल आप के क्षेत्र तक ही सिमट कर रह जाता है, दूसरे मंत्रालयों को जितना उसको व्यावहारिक रूप देना चाहिये, उतना व्यावहारिक रूप वह उन्हें नहीं दे रहे । जितनी हिन्दी इन पन्द्रह वर्षों में आगे बढ़नी चाहिये थी और जितना हिन्दी को सम्मानपूर्ण स्थान मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल सका है । इसके लिये देश की जनता उतनी दोषी नहीं है जितनी देश की सरकार दोषी है । हमारी नीति उसी प्रकार की रही है जैसे बाजार में कई दूकानों पर लिखा रहता है "आज नकद कल उधार" उधार लेने वाला सोचता है कि शायद कल नम्बर आ जाए पर नहीं आता । उसी प्रकार हम भी बराबर पन्द्रह वर्ष आगे चलते गए । अब आकर हमने सन् १९६५ को याद करना शुरू किया सो भी दूसरा विधेयक लाने की तैयारी है । सरकार की जो उदासीन नीति है, वे किसी स्वस्थ राष्ट्र की परम्पराओं के चिन्ह नहीं हैं । हमें अपने निर्णय के सम्बन्ध में फिर से सोचना चाहिये । हमारे देश में १६ या १७ नये राज्य हैं, उन में से जो इस प्रकार के राज्य हैं जहां हिन्दी का व्यवहार होता है जिन प्रान्तों की सरकारों ने इसका निर्णय किया है कि सन् १९६५ में वह हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर देंगी उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेने में क्या हिचक है ? वह क्यों नहीं इस बात की घोषणा करती कि जो विधेयक लेने जा रहे हैं वह उन सात प्रान्तों को छोड़ कर, जो प्रान्त हिन्दी को नहीं पचा या खपा सके, उनके लिये उपस्थित किया जा रहा है । इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । और फिर कम से कम देशवासियों को यह सोचने का अवसर तो मिलेगा कि सरकार ने इन पन्द्रह वर्षों में सात कदम आगे बढ़ाये हैं और नौ कदम शेष हैं, जिनको बढ़ाने के लिये सरकार समय मांग रही है । यह एक बुद्धिमतापूर्ण निर्णय होगा । लेकिन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सात प्रान्तों को भी शेष नौ प्रान्तों के साथ जोड़ लेना व्यवहारिक नहीं होगा ।

15 hrs.

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जब हिन्दी का प्रश्न सामने आता है तो उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में और एक बात आती है वह है देव नागरी लिपि की । मैंने पहले भी सदन में चर्चा की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति ही नहीं इसको सोचता है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले इसी राजधानी में सारे देश के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । उस सम्मेलन में भी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि भारत की जितनी प्रान्तीय भाषायें हैं उनको एक दूसरे के निकट लाने के लिये अगर एक सामान्य लिपि को माध्यम बना लिया जाय तो बहुत सहायता मिलेगी । लेकिन मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के सर्व सम्मति से निर्णय लेने के बाद भी वह प्रस्ताव कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका है । वह प्रस्ताव केवल प्रस्ताव की भाषा तक ही सीमित है या समाचारपत्रों के लिये आन्दोलन का विषय बन कर रह गया है । मेरा अपना विश्वास है कि हमारे यहां जो भाषा की लड़ाई चल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लिपि की दीवार बीच में खड़े होने से सब एक दूसरे से अपने को दूर समझते हैं । अगर लिपि की दीवार बीच से हटा दी जाय तो सारी कठिनाई दूर हो जाय । मराठी की लिपि देव नागरी है, गोरखाली की लिपि देव नागरी है । इसलिये इन दोनों भाषाओं को पढ़ने और समझने में हिन्दी जानने वालों को कोई विशेष समय या श्रम नहीं लगता है । जितनी भी भारतीय भाषायें हैं उनमें से प्रायः सब संस्कृत की पुत्रियां हैं, उनमें संस्कृत शब्द बहुत हैं । मलयालम है, बंगला है, तमिल है या पंजाबी है, यदि उनको देव नागरी लिपि के माध्यम से लिखा जाय तो कोई विशेष कठिनाई होने वाली नहीं है । मेरा कदापि अभिप्राय यह नहीं है कि जब मैं देव नागरी लिपि की चर्चा करता हूं तो चाहता हूं कि उन भाषाओं की लिपि को समाप्त कर दिया जाये और उनकी लिपि को समाप्त करके ही देव नागरी रखी जाय । मैं आरम्भ से ही इस विचार का रहा हूं कि अपनी प्रान्तीय भाषाओं को सुरक्षित रखते हुए अखिल भारतीय रूप में हिन्दी को सामान्य व्यावहारिक भाषा बनाने के लिये सरकार यत्नशील हो, उसी प्रकार मेरी अपनी यह भी मान्यता है कि प्रान्तीय भाषाओं की अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए उनको आपस में निकट लाने के लिए यदि देव नागरी को सामान्य रूप में सारे देश के लिये स्वीकार कर लिया जाय तो भाषा के नाम पर जो छोटे छोटे विवाद उठ खड़े होते हैं उनको समाप्त करने में एक बहुत बड़ा योग मिलेगा, और इसके लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था बहुत बड़ा कार्य कर सकती है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिन्दी जगत को एक बार फिर आपके द्वारा आश्वासन और भरोसा मिला है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी गौरवपूर्ण संस्था में जो आन्तरिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं उन्हें दूर करने के लिये ही यह विधयक उपस्थित किया गया है, और इस बात को कहते हुए मुझे और भी हार्दिक प्रसन्नता है, जैसे कि श्री स० मो० बनर्जी ने अपने भाषण में चर्चा की, कि जब जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नाम आता है तो श्रद्धेय टण्डन जी की याद बरबस मस्तिष्क में आ जाती है । मैं इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय टंडन जी के जीवन काल में ही लिया जिससे उन्हें मृत्यु से पहले बहुत बड़ी शान्ति मिली कि सरकार ने इस प्रकार का गौरवपूर्ण निर्णय लिया और हिन्दी का प्रश्न जो चन्द स्वार्थी लोगों के हाथों में जाकर उलझ गया था उसे सरकार उदार स्तर पर सुलझाना चाहती है और उसी में

जो न्यूनता रह गई थी उस को वह अब ठीक करना चाहता है । लेकिन इसके साथ-साथ फिर जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक जिस प्रकार से हिन्दी साहित्य सम्मेलन सर्वसाधारण की संस्था रही है उसी प्रकार की संस्था वह बनी रहे । वह एक सरकार के गुलाम संगठन के रूप में न परिवर्तित हो जाय इस का भी बराबर ध्यान रखा जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को इस निर्णय के लिये धन्यवाद देता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन .....

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप रूप से तो ठीक है हिन्दी का रिफरेंस, हिन्दी के प्रचार की बात और लैंग्वेज को यहां लाना । लेकिन उसके ऊपर बहुत वक्त न लगाया जाय क्योंकि यह बहुत लिमिटेड बिल है ।

Dr. L. M. Singhvi: I hope that applies to the Members in general. As a matter of fact, I have no intention to go into any details.

अध्यक्ष महोदय : मैं आनरेबल मेम्बर के लिये नहीं कह रहा हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन संशोधन विधेयक जो हमारे समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है वह इस भावना से प्रस्तुत किया गया है कि किसी कसूति अड़चन के कारण हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विकास और उत्थान में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्धार के प्रयत्नों में, कोई बाधा न खड़ी हो कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए संकेत किया था, कि मूल विधेयक में सामान्य सदस्यों का इसलिये उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उन की पूरी सूची उपलब्ध नहीं थी और आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह सूची पूरी तौर से उपलब्ध नहीं है । फिर भी उन्होंने कठिनाइयों के निराकरण के दृष्टिकोण से जो यह कदम उठाया है वह वास्तव में इस बात का द्योतक है कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन संस्था के उद्धार के लिये प्रयत्नशील हैं । इस दृष्टिकोण से वास्तव में यह विधेयक स्वागत योग्य है और माननीय मंत्री का यह प्रयत्न प्रशंसा का पात्र है ।

इस विषय में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि उनकी जो यह उत्कण्ठा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय रूप से अपना कार्य करने लगे, उसे मुतरूप देने के लिये उनको यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसा मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि यह संस्था किसी भी प्रकार के प्रभाव-क्षेत्र के कारावास में बन्दी हो कर न रह जाय, बल्कि जैसी कि वह जन जन की, सर्वसाधारण की संस्था रही है उसी प्रकार आगे भी बनी रहे । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को वास्तव में न केवल साहित्कारों का संगम ही बन कर रह जाना है, न केवल हिन्दी के प्रसार के प्रबल प्रवाह के रूप में ही हमारे समक्ष आना है, बल्कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह प्रयत्न भी होना चाहिये कि वह प्रादेशिक भाषाओं और लिपियों के समन्वय और संगन का प्रयत्न करे क्योंकि यह हमारे देश के लिये एक सब से बड़ी जरूरत है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करना चाहता हूं ।

श्री प्र० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कुछ सन्देह इसके प्रारम्भिक मेम्बरों के सम्बन्ध में रहा है उसको साफ किया जाये । इस बिल के उद्देश्यों में यह बतलाया गया है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक राष्टीय

[श्री प्रा० ना० विद्यालंकार]

महत्व की संस्था माना गया है और इसलिये गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथों में लिया और इस संस्था के सम्बन्ध में इस प्रकार का एक बिल पेश किया जाय। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक उसके पुराने मेम्बरों को लेने का ताल्लुक है, जैसा कि इसमें कहा गया है, अगर हम उतने के उतने और वही मेम्बर, जो कि पहले थे, वैसे के वैसे ले लेते हैं तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हम इस संस्था को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने में सफल नहीं हो सकते। मुझे आशा यह थी कि जब हमने यह समझा कि यह एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है तो हम इसका बहुत बड़ा विस्तार करेंगे और इसके मेम्बरों में और ज्यादा लोगों को शामिल करेंगे।

जिस समय यह संस्था आरम्भ हुई थी उस समय की अवस्था में और इस समय की अवस्था में बहुत फर्क है। जब यह संस्था आरम्भ हुई थी उस समय हिन्दी का कहीं नाम भी नहीं था, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि इस संस्था ने हिन्दी के प्रचार के लिये प्रारम्भिक दिनों में, जब कि लोग हिन्दी का नाम लेने से भी घबराते थे, काम किया। इस संस्था की इसके लिये जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इस संस्था के सचालकों की, जिनमें स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम भी है, जितनी प्रशंसा की जाय, बहुत कम है। लेकिन आज हालात बदल गये है और आज हिन्दी सारे राष्ट्र की भाषा है। जब हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया है तो उस समय हिन्दी की प्रचार वाली संस्था के पीछे जो आधार हो, या जो उसको चलाने वाली कमेटी हो, उसका भी विस्तार उतना ही होना चाहिये। मैं आशा करता था कि उसके अन्दर न सिर्फ वे लोग जो कि पहले से मेम्बर हैं बल्कि उनके अलावा प्रत्येक प्रान्त से और मेम्बरों को लिया जाता। जो अन्य भाषायें हैं, जिनको हम हिन्दी के साथ चलाना चाहते हैं, जिनके साथ हिन्दी का सीधा सम्बन्ध है, जो प्रान्तीय भाषायें हैं लेकिन जिन भाषाओं के सहयोग के साथ ही हिन्दी बढ़ सकती है, उन भाषाओं के जानने वालों को भी उसमें रक्खा जाता। ताकि इस संस्था के जरिए जिस हिन्दी का प्रचार किया जाता, हिन्दी का जो नया रूप दिया जाता, वह सही तौर पर राष्ट्र भाषा होती और उसका रूप ज्यादा विस्तृत होता। इसलिए मैं समझता हूं कि जब हम इसके दायरे को संकुचित करते हैं और इसकी मेम्बरशिप को उतना ही रखते हैं जितनी कि वह पहले थी और जैसा कि इस बिल में बतलाया गया है कि जो पुराने मेम्बर हैं वे आ जाएंगे, तो मुझे सन्देह है कि हम इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने में सफल हो सकेंगे।

हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि बाद में वे लोग दूसरे व्यक्तियों को अपनी संस्था में शामिल कर लेंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यह चाहता था कि जब हम इस बिल को पास कर रहे हैं तो हमें यह निश्चित कर देना चाहिये था कि किस दिशा में इसकी प्रगति होनी चाहिए और किस प्रकार इसका विस्तार होना चाहिए और उसकी रूप रेखा बना कर इसमें शामिल कर देना चाहिए। हमको यह चीज मेम्बरों पर नहीं छोड़नी चाहिए कि वे आकर और नए मेम्बर लेकर इस संस्था का विस्तार करें। मैं इस चीज को आवश्यक समझता हूं।

हिन्दी का जो रूप आज से कुछ समय पहले समझा जाता था और हिन्दी का उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रान्तों में जिस रूप में विस्तार हुआ है, जब वह हिन्दी राष्ट्र भाषा बनेगी तो आवश्यक रूप से उसका वह रूप बदलेगा। उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रवेश होगा। उसमें दूसरी भाषाओं की शैली का प्रवेश होगा और उस पर दूसरी

भाषाओं का बहुत कुछ असर होगा । मैं समझता हूं कि हर एक प्रान्त को धरती का खुशबू हिन्दी के अन्दर आएगा और तब एक ऐसी हिन्दी का विकास हो सकेगा जो सही तौर पर राष्ट्र भाषा हो सके । उसमें यह नहीं होगा कि इन शब्दों को हम रखते हैं और इनको नहीं रखते । जनता जिन शब्दों का प्रयोग करती है वे उस हिन्दी में शामिल होंगे और उस हिन्दी का देश में प्रचार होगा। इस प्रकार की राष्ट्र भाषा का प्रचार करने वाली संस्था को सही तौर पर विशाल संस्था के रूप में होना चाहिए था । और ऐसा करने के लिए जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, और जिनको हमने अपने संविधान में स्थान दिया है, उन भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों को उस संस्था में स्थान दिया जाना चाहिए था । मैं समझता हूं कि इस बिल में यह कमी रह गई है । हम जिस रूप में इस बिल को पास कर रहे हैं, मैं नहीं समझता उस रूप में यह संस्था कहां तक राष्ट्रीय महत्व की संस्था हो सकेगी ।

पिछला इतिहास बताता है कि इस संस्था में गुटबन्दियां हैं जिनकी ओर श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इशारा किया है । मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से इस बात में भी सहमत हूं कि ऐसा न हो कि यह संस्था सरकारी संस्था बन कर रह जायें । मैं यह भी चाहता हूं कि जिन गुटबन्दियों के कारण इस संस्था का काम बन्द पड़ा रहा वे फिर न पैदा हों । मैं चाहता हूं कि हम इस संस्था को उन गुटबन्दियों से बचा सकें । मैं इसके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता कि जब लोग ऐसी बातों के लिए संघर्ष करते थे कि परीक्षा का पत्र किसको मिले, किसको परीक्षक बनाया जाए, किस की किताब ली जाए । इन्हीं व्यापारिक चीजों के कारण इस संस्था के कार्य में गड़बड़ी पैदा हुई । मैं समझता हूं कि उससे इसे बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस संस्था को ब्राड बेस्ड बनायें जिससे कि इस तरह की बातें न हो सकें । मुझे एक खतरा फिर नजर आता है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर हम पुरानी मेम्बरशिप पर ही मुहर लगाने जा रहे हैं तो मुझे खतरा नजर आता है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस खतरे पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिससे यह संस्था सही मानों में राष्ट्रीय महत्व की संस्था बन सके और ज्यादा ब्राड बेस्ड हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है । इस हाउस ने उसको पास किया है और हमारे बुजुर्गों ने इस पर अपनी मुहर लगायी है । आज यहां इस सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम लिया गया । हिन्दी के नाते टंडन जी ने जो मुसीबत देश में उठायीं वह सब जानते हैं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे, और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार यह कानून बना कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन को प्रोत्साहन देना चाहती है ।

मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि हिन्दी फूले फले तो जो लोग लखनऊ युनिवरसिटी से, बनारस युनिवरसिटी से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन से एम० ए० पास करके आते हैं उन सब को समान रूप से नौकरियों में स्थान दे । ऐसा होगा तो लोग खटाखट हिन्दी पढ़ेंगे और हिन्दी की उन्नति होगी । आज अवस्था यह है कि जो लड़के-लड़कियां लखनऊ विश्वविद्यालय से या बनारस विश्वविद्यालय से पास करते हैं उनको तो ले लिया जाता है, पर जो लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन से पास करते हैं उनको नहीं लिया जाता । हमारी बहुत सी बहिनों और बेटियों ने हिन्दी साहित्य सम्म्मेलन की परीक्षाएं पास की हैं और वे बढ़िया से

[श्री शिव नारायण]

बढ़िया अध्यापिकायें बन सकती हैं लेकिन उनकी पूछ नहीं है ।

मैं आज अपने उस मित्र से सहमत हूं जिन्होंने सुझाव दिया कि इस संस्था में हर प्रान्त के सदस्य लिये जाएं जिससे कि श्री कामथ जी भी सहयोग दे सकें, मद्रास के लोग भी सहयोग दे सकें, पंजाब के सदस्य भी सहयोग दे सकें । देश के हर भाग के लोग सहयोग कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत तो यह है कि जो पहले के मेम्बर हैं वे आपस में नहीं चला सके । और आप और लोगों को भी लाना चाहते हैं ।

श्री शिव नारायण : यहां तो मेरा सुझाव है कि अगर पुराने लोग गाड़ी न चला सके तो नए ड्राइवर रखे जाएं ताकि गाड़ी ठीक से चल सके ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल ड्राइवर का नहीं सवारियों का है जो कि आपस में लड़ रहा हैं और आप और लाना चाहते हैं ।

श्री शिव नारायण: मैं चाहूंगा कि इसमें अन्य लोगों को लिया जाए और इस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए । मैं तो चाहता हूं कि इस बिल को लाने के लिए सरकार बधाई की पात्र है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जनता से अपील की है । मैं भी अनुरोध करता हूं कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वे जहां जाएं हिन्दी में बोलें और इस प्रकार हिन्दी का प्रचार करे । हमें किसी भाषा से द्वेष नहीं है । पुराने समय में संस्कृत हमारे देश की राष्ट्र भाषा रही । गुप्त काल के भारत में संस्कृत हमारी राष्ट्र भाषा रही । अगर आज हम भारत को गुप्त काल में ले जाना चाहते हैं तो हमको संस्कृत पर निर्भर होना पड़ेगा । संस्कृत में साइंस के शब्द भरे पड़े हैं । जरमनी और दूसरे मुल्क संस्कृत का महत्व समझते हैं फिर हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं । हमको चाहिए कि हम संस्कृत को लेकर हिन्दी का प्रचार करे । हिन्दी बड़ी सरल भाषा है । इसको देश के कौने-कौने में समझा जाता है । प्रेम चन्द जी ने जो भाषा लिखी है उसी भाषा में ब्राडकास्ट किए जाएं और उसी में लेख लिखे जाएं ताकि लोग आसानी से समझ सकें । उस हिन्दी को बहुत आदमी समझ सकते हैं । कलकत्ता से लेकर गुजरात तक और कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर तक, देश के हर कोने में लोग हिन्दी में बोलते हैं, टूटी फूटी हिन्दी बोलते हैं । यह अंग्रेजी से आसान है, परशियन से आसान है । आज हम दूसरी भाषाओं को तो सिर पर लाद रहे हैं, पर अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं । मैं प्रार्थना करूंगा सब मेम्बरों से, चाहे वे किसी दल के हों, कि अगर आपको देश को ऊंचा उठाना है तो उसकी भाषा को उठाइए और देश को गिराना है तो उसकी भाषा को गिराइए । जिस राष्ट्र की भाषा आगे बढ़ती है वह राष्ट्र आगे बढ़ता है, जिसकी भाषा नहीं बढ़ती वह राष्ट्र नहीं बढ़ता ।

आज देश में इमरजेंसी का समय है । इस समय देश में एकता की भावना जोरों पर है । ऐसे समय में हिन्दी फूल फल सकती है । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अच्छा कदम उठाया है और आशा करता हूं कि जो सुझाव दिए गए हैं उन्हीं पर सरकार इस गाड़ी को चलाएगी ।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो इस बिल का अनुमोदन तथा समर्थन करता हूं । मैं इसके बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी के प्रचार में बड़ा काम किया है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । उसके कार्य में जो गड़बड़ियां पैदा हुई उनको ठीक करने के लिए

यह बिल लाया गया है । इस सम्बन्ध में मैं दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने का व्रत लेने के १५ वर्ष बाद हम उस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं । और इस सिलसिले में सरकार को तो छोड़ दीजए, ऐसी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दे दिया जाता जो कि देश में हिन्दी के प्रचार का काम करना चाहती हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ही तरह और भी संस्थाओं का निर्माण होना चाहिये । लेकिन हम देखते हैं कि १५ वर्ष बाद भी हम जहां के तहां हैं । हमने हिन्दी के प्रचार का काम ऐसे साम्प्रदायिक हाथों में दे रखा है जो दूसरी भाषाओं का निरादर करते हैं । दूसरों को गालियां देते हैं । इस तरीक़े से तो हिन्दी को और ज्यादा बदनाम करने का उन लोगों को मौक़ा मिलता है जो कि हिन्दी के मुखालिफ़ हैं । यह साम्प्रदायिक लोग और संस्थायें इस तरह से हिन्दी का प्रचार करते हैं और ऐसी किताबें इत्यादि लिखते हैं जिससे कि हिन्दी बहुत अधिक इस मुल्क में बदनाम हो रही है और बहुत जगह तो इस का बड़ा निरादर किया जाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि हिन्दी के प्रचार के लिए जो भी हिन्दी के हामी हैं उन में से ऐसे लोगों को ही इस के प्रचार का मौका देना चाहिए और उन की मदद करनी चाहिए जो कि देश में साम्प्रदायिक तत्वों से अलग रह कर सही मायनों में हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं ।

दूसरे मुल्कों में, उदाहरणार्थ सोवियट यूनियन में जहां कि हिन्दी के स्कूल खोले गये हैं मैंने देखा है कि दर्जा तीन से लेकर बी० ए० तक हिन्दी पढ़ाई जाती है जब कि हमारे अपने देश के अंदर हिन्दी पढ़े लिखे लोगों का निरादर होता है । हिन्दी पढ़े लिखे लोगों को तो पढ़ा लिखा हुआ माना ही नहीं जाता उन को तो मर्ख समझा जाता है । इस सिलसिले में मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रचार के लिए खास तौर से ऐसी संस्थाओं को अधिक से अधिक अनुदान देने को ज़रूरत है और उन को बढ़ाने की ज़रूरत है जो कि देश में हिन्दी का सही तौर से प्रचार करे। आज हालत यह है कि हिन्दी के लेखक और कवि भूखों मरते हैं और उन के साहित्य का कोई प्रचार नहीं होता है । जो हिन्दी के लेखक हैं उन के खाने का भी ठिकाना नहीं है । हिन्दी के अखबारों की सब से रद्दी हालत चल रही है । वे अख़बार चंद एक पूंजीपतियों के हाथ में पड़े हुए हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसे अख़बार, लेखकों और कवियों आदि को हिन्दी में साहित्य का भंडार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए । असाम्प्रदायिक संस्थाओं को और हिन्दी सेवी संस्थाओं को हिन्दी के प्रचार के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि सही मायनों में देश के अन्दर हिन्दी फैल सके ।

एक और बात कही जाती है और वह है लिपि बदलने की बात । पहले भी यह सवाल उठा था और इस तरह की एक हिन्दी लिपि चलाने का नाटक किया गया था । लेकिन वह बदलाव लिपि में केवल एक नाटक और तमाशा मात्र बन कर रह गया । उस को तस्वीरें छापी गईं और किताबों में शाहजादा राम और शाहजादी सीता यह शब्द लिखे गये । जहां तक अन्य भाषाओं के शब्द हिन्दी में लेने का सवाल है मैं समझता हूं कि तमाम भाषाओं के ऐसे शब्द जो कि आसानी से उच्चारित किये जा सकें और जो कि कौमनली इस्तेमाल होते हैं उन लफ्जों को हिन्दी में ले लेना चाहिए । यह हिन्दी का विरोध मुख्य रूप से कुछ इंटरैस्टेड लोगों के द्वारा होता है जो कि कहते हैं कि यह हिन्दी नहीं चलेगी । ख़ासतौर से देश की जो नौकरशाही है वह हिन्दी के विरुद्ध है और वह नहीं चाहती कि हिन्दी का प्रचार किया जाय । हिन्दी सारे देश को गरीब जनता की ज़बान है । अलबत्ता कुछ नेता लोग हैं जो कि स्वार्थवश और अपनी लीडरी क़ायम रखने के लिए हिन्दी का विरोध करते हैं । मुझे इस सम्बन्ध में

[श्री सरजू पांडेय।

एक छोटी सी कविता याद आ जाती है :—

"जाकी धन धरती हरी, ताहि न रखिये संग।
जो संग राखे बने, तब कर राख अपंग।।"

जिस को गुलाम बनाना हो उस की जबान बदल दो, उस के तमाम तौर तरीक़ों को तबदील कर दो। जब हम अंग्रजों के गुलाम बने तो हमारे साथ उन्होंने यही किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि स्वाधीन होने के पन्द्रह वर्ष के बाद भी हम लोगों के दिल से अंग्रेज़ी का मोह नहीं छूटा है विशेषकर प्रशासन को कुछ ऐसा डर लगता है कि अगर कहीं उस ने अंग्रेज़ी को हटा कर हिन्दी कर दी और हिन्दी का नाम लेना शुरू कर दिया तो हमारा राज्य ही उलट जायगा। अगर हम ने इस दिशा में सावधानी नहीं बर्ती और हिन्दी का प्रचार सही रूप में नहीं किया तो लाजिमी तौर पर हिन्दी बदनाम होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक तत्वों और संस्थाओं आदि से यह काम न करा कर हिन्दी प्रचार करने के लिए असाम्प्रदायिक तत्वों और संस्थाओं आदि को मदद करे ताकि वे हिन्दी के साहित्य की अभिवृद्धि करें और देश में हिन्दी फले फूले। हम एक एसी सार्वदेशिक भाषा का निर्माण कर सकें जो कि पूरे देश की जबान बने। सही तौर पर हम हिन्दी को समृद्ध और उन्नतिशील बनायें।

श्री यू० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास पर हमारे माननीय वक्ता शास्त्री जी ने काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। जहां तक उस के इतिहास का सवाल है हर एक आदमी जिसका कि उस से कुछ भी सम्बन्ध रहा है इस को अच्छे तरीक़े से जानता है। हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का बड़ा प्रमुख स्थान रहा है। उत्तर भारत के बहुत से नेता विशेष तौर से इस संस्था के साथ सम्बद्ध रहे हैं। स्वयं महात्मा जी का भी किसी न किसी रूप में इस के साथ सम्बन्ध रहा है और गांधी जी इस के अध्यक्ष रहे हैं। श्रद्धेय टंडन जी का तो इस के साथ बिल्कुल वैसा ही सम्बन्ध था जैसा कि एक पिता का पुत्र के साथ होता है। वह तो एक तरह इस संस्था की आत्मा थे। इस संस्था ने हिन्दी के प्रचार के अतिरिक्त देश में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए जो विशेष प्रकार का काम किया है उस से आज कोई भी आदमी इंकार नहीं कर सकता। हिन्दी के प्रचार और प्रचार के साथ साथ कुछ ऐसी भी पुस्तकें शोध के द्वारा हिन्दी साहित्य के अंदर इस संस्था के द्वारा प्रेषित होकर विद्वानों ने लिखी हैं जो कि हिन्दी साहित्य की अमूल निधि हैं। किन्तु पिछले कुछ समय से विशेष तौर से स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस संस्था में कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण ऐसी गुटबन्दी हुई, कुछ इस प्रकार की दलगत नीति इस के अंदर आ गई जिस के कारण इस संस्था को कुछ नुकसान हुआ। इस की विशेष परीक्षाओं के द्वारा या कुछ विशेष इस की गतिविधियों के द्वारा विशेष कार की आमदनी होती थी, इसलिए एक ग्रुप ने, कुछ आदमियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस के ऊपर कब्जा किया और कितने दिनों तक बहुत बुरे समाचार आते रहे और सारा जो हिन्द जगत है उसको हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में इस तरह की अनेकों गड़बड़ वाली बातें सुन कर गहरा सदमा पहुंचा। इस से हिन्दी प्रेमियों को मानसिक आघात पहुंचा। इस मामले में जो हमारा केन्द्र का शिक्षा मंत्रालय है और विशेष तौर से जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस संस्था के काम को ठीक करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये और जो कि इस से पहले पार्लियामेंट के सैशन में मार्च में आये। उन्होंने कुछ नियम बनाये व नियन्त्रण लगाये और इसकी गतिविधियों को ठीक किया और उन को अधिक व्यापक बनाया। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि भविष्य में फिर इस किस्म के उपद्रव और गड़बड़ी इस उत्तम संस्था में न हो सकें। मंत्री महोद

ने इस के लिए जो विशेष उपाय और कानून पास किये वे सराहनीय हैं और वर्तमान संशोधन भी वह इसी उद्देश्य से लाये हैं। जहां तक इस संशोधन की महत्ता का सवाल है इस के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इस प्रकार का संशोधन अवश्य आना चाहिए और इस से जो कुछ कमी या जो कुछ हीनता पहले उस बिल के अन्दर रह गयी थी उस की यहां पूर्ति हो जायगी। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि इस संस्था को अधिक से अधिक प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया जाय। इस की गतिविधियां सर्वत्र देश में पनप सकें। इस के द्वारा अनेकों परीक्षाओं की भी व्यवस्था होती है। अब जैसा कि उधर से हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो परीक्षाएं पास कर के निकलते हैं उन को अन्य परीक्षाओं में पास होकर निकलने वाले लोगों के समान महत्ता नहीं मिलती है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह परीक्षाओं का जो चक्कर है यह जो सारे देश के अन्दर विश्वविद्यालयों का जाल फैला हुआ है, यह उन्हीं के जिम्मे रहने दें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन शोध का काम करें। हिन्दी में सब से बड़ी कमी यह है कि अंग्रेज़ी की तरह से उस का साहित्य अक्षुण्ण नहीं है। इस संस्था द्वारा उस कमी को पूरा करने के लिए और शोध के काम को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक ठोस और सक्रिय कदम उठाये जायेंगे। अगर ऐसा किया गया तो अच्छा रहेगा और इस का प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारे साहित्य की बहुत सी चीजें जो कि अभी तक अर्थाभाव से या अन्य किसी कारण से प्रकाश में नहीं आ पायी हैं, वे प्रकाश में आ सकेंगी। इस के लिए पुस्तकों अथवा पुस्तकालयों की कमी को दूर करना होगा। मुझे आशा है कि जिन कमियों के कारण आज हमारा हिन्दी साहित्य समृद्ध नहीं हो पा रहा है उन को यह संस्था दूर करेगी और अब से यह संस्था अपना कार्य अधिक सुचारु रूप से कर सकेगी। इस दृष्टि से यह विधेयक और आने वाले संशोधन जो कि इस संस्था को गति और शक्ति प्रदान करते हों और इस की गतिविधियों को व्यापक करें, स्वागत योग्य हैं। इस दृष्टि से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रशंसा का पात्र है। मेरा यह विश्वास है कि भविष्य में इस संस्था द्वारा या अन्य हिन्दी सेवी-संस्थाओं द्वारा हिन्दी प्रचार के कार्य में कुछ कठिनाइयां सामने आयेंगी तो उन कमियों को हटाने के हेतु यदि कोई संशोधन विधेयक इस सदन के सामने आयेगा तो यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि सदन उस संशोधन विधेयक को उसी खुशी के साथ पास करेगा जिस प्रकार से कि आज सदन इस को पास कर रहा है।

अब मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा और वह यह कि जहां हम इस तरह का विधेयक लाते हैं वहां बहुत सारे संसद सदस्यों की बात में अपनी बात मिलाते हुए यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हिन्दी के बारे में जैसी नीति हमारी सरकार द्वारा अपनाई जानी चाहिए थी, हिन्दी के बारे में हमारे दिमाग़ में अब तक जो बातें आनी चाहिए थीं और उस के प्रचार और प्रश्रय के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाया जाना चाहिए था, उस के बारे में अभी तक उसकी ओर से उदासीनता ही बर्ती गई है। हमारी तरफ़ से उस सम्बन्ध में ढील और ग़फ़लत बर्ती गई है।

सन् १९६५ हमारे सिर पर आ गया है और उचित तो यह था कि उस वक्त हिन्दी पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी की जगह ले लेती। हम ने अपने संविधान में एक इस तरह का प्राविज़न रक्खा है कि १९६५ के बाद हिन्दी को उस का प्रमुख स्थान किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा लेकिन उस के स्थान पर हम अभी से एक एसे बिल की चर्चा सुनने लगे हैं और जिसके कि बारे में यह कहा जा रहा है कि अगले बजट सैशन में आयेगा जिससे कि अंग्रेजी इस देश में अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात है और अंग्रेज़ी के प्रति मोह यह समझ में नहीं आता। जहां हम चाहते हैं कि हिन्दी अपना उपयुक्त स्थान देश

[श्री यू० सिं० चौधरी]

और समाज के अन्दर ले वहां इस का मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेज़ी को बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं। अलबत्ता अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी शिक्षा की व्यवस्था हो, लोग उसको पढ़ें और ठीक जैसे--फ्रेंच, चीनी या रूसी भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था होती है अंग्रेज़ी की पढ़ाई की भी व्यवस्था हो और इच्छुक लोग अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन अंग्रेज़ी के प्रति राष्ट्र के अन्दर जो वर्तमान मोह है यह इम्पीरियलिज्म की प्रवृत्ति है। एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेज़ी को इस देश में बनाए रखा जा रहा है। जहां तक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का सवाल है, यह बात हिन्दी पर नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी पर लागू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक-अमुक प्रदेशों में हिन्दी नहीं बोली जाती है, या वहां के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। प्रादेशिक भाषायें पनपें और अपना उचित दर्जा तथा स्तर प्राप्त करें। प्रदेशों के राज-काज में वहां की प्रादेशिक भाषायें प्रयुक्त की जायें, इस में हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेज़ी न तो उन की है और न हमारी है। हमारा अपना सब काम-काज अपनी-अपनी भाषाओं में हो सकता है।

अन्त में मैं आप को एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूं। आजकल इमर्जेन्सी की वजह से फ़ौज को बढ़ाया जा रहा है और लोग इमर्जेन्सी कमीशन हासिल करने के लिए--लेफ्टिनेंट बनने के लिए--आ रहे हैं। पचासों आदमियों ने मुझ से शिकायत की है कि हालांकि वे हर एक दृष्टि से उपयुक्त हैं, वे एन० सी० सी० ट्रेन्ड हैं, उन के पास "सी" सर्टिफिकेट है, उन का स्वास्थ्य भी ठीक है और वे तगड़े हैं, अर्थात् सब बातों में वे पूरे उतरते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने वाले आफ़िसर उन को कहते हैं कि "आप पूरी तरह फ़िट हैं, लेकिन आप में एक कमी है कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैं आप दो महीने अंग्रेज़ी पढ़िए और सीखिए और फिर यहां पर आइए"। मैं कहना चाहता हूं कि ये कितने खेद का विषय है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर चीन या पाकिस्तान से युद्ध हो तो अंग्रेज़ी वहां पर क्या काम आयेगी।

सरकार इस देश में अंग्रेज़ी को बनाए रखने को जो ज़िद कर रही है, उस का नतीजा यह है कि विद्यार्थियों को न तो हिन्दी आती है और न अपनी प्रादेशिक भाषा आती है। वे अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस में भी वे पीछे रह जाते हैं, उस में भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। आज स्थिति यह है कि अंग्रेज़ी पढ़ने के चक्कर में हिन्दुस्तान का शिक्षित आदमी किसी भी भाषा का विद्वान नहीं होता है और सब भाषाओं में वह त्रिशंकु की तरह बीच में लटका रह जाता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अंग्रेज़ी के प्रति हमारा जो मोह है, हम उस को त्यागें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फ़तेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधक विधेयक को लाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की भावना का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उस का स्वागत करता हूं। परन्तु मुझे यह आशंका है कि इस संशोधक विधेयक के द्वारा सभी पुराने सदस्यों को दोबारा सदस्य मान लिये जाने की जो व्यवस्था की जा रही है, उस का परिणाम कहीं यह न हो कि उस संस्था में जो पुराने आपसी मतभेद थे, वहां पर जो दलबन्दी थी, वह फिर पैदा हो जाये। अभी-अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन सदस्यों के नामों को कोई निश्चित और कम्पलीट सूची अभी नहीं है। इससे और भी आशंका होती है कि कहीं पुराने सदस्य दोबारा आ कर इस संस्था को पार्टीबाज़ी की दलदल में डालने का प्रयत्न न करें। मैं

समझता हूं कि इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये कि जब यह संस्था एक राष्ट्रीय संस्था हो गई है, तो अब इस में दलबन्दी बिल्कुल न रहने पाये ।

जहां तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध है, इस में कोई शुबहा नहीं है कि जब इस को आरम्भ किया गया था, तो उस समय हिन्दी का कोई स्थान नहीं था । इस संस्था ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया । जब कभी भी इस विषय पर कोई चर्चा होती है, तो स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जी का स्मरण हो आता है । उन्होंने तन-मन से इस संस्था को शुरू किया और इस को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया ।

इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी को प्रोत्साहन और मान्यता उस समय तक नहीं मिल सकती है, जब तक कि अंग्रेज़ी भाषा हमारे ऊपर है । आज से पंद्रह वर्ष पूर्व हम ने अपने संविधान में हिन्दी को अपनी राष्ट्र-भाषा माना था । अगर इस अवधि में सरकार इस तरफ़ पूरा ध्यान देती, उस का प्रचार और प्रसार करने का पूरा प्रयत्न किया जाता, तो आज हमारे सामने यह प्रश्न न आता कि हम अंग्रेजी जुबान की अवधि बढ़ाने के लिए कोई बिल यहां पर लायें । मैं यह बात साफ़ तौर से कहना चाहता हूं कि आज हिन्दी भाषा के आगे बढ़ने के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट यह है कि देश में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग हो रहा है और उस को मान्यता दी जा रही है । जब तक अंग्रेज़ी भाषा कायम रहेगी, उस को मान्यता प्राप्त रहेगी और हमारे देश में रोज़-मर्रा के काम अंग्रेज़ी भाषा में होंगे, तब तक हिन्दी भाषा को उस का उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है ।

जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपनाया है, तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि यह संस्था सुचारु रूप से कार्य करे । इस के द्वारा हिन्दी भाषा को बड़ा बल मिले और हिन्दी का काम करने में जो कमियां हैं, उनको वह दूर करे । अभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक विशेष अंग परीक्षायें लेना रहा है । मेरा ज़ाती अनुभव है कि इस संस्था में वाद-विवाद और दलबन्दी इन परीक्षाओं के कारण आरम्भ हुए । अब जब कि इस संस्था को एक राष्ट्रीय संस्था बनाया गया है, तो इस के द्वारा परीक्षायें न ली जायें, बल्कि इस बात का प्रयास किया जाये कि इस के द्वारा हिन्दी भाषा की तमाम त्रुटियों और कमियों को दूर किया जाये । विशेष तौर से इस बात का संकल्प कर लिया जाये कि हमारे संविधान में हिन्दी भाषा के लिए जो स्थान निश्चित किया गया था, वह स्थान उस को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ।

इस बिल में एक साधारण सी व्यवस्था यह भी की गई है कि एलाउंस के अतिरिक्त वेतन भी दिया जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था का सम्बन्ध केवल साहित्य से है और किसी आर्थिक व्यवस्था या व्यवसाय से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर मुझे इस बात में सन्देह है कि इस व्यवस्था के अनुसार कैसे कार्य किया जा सकेगा । मैं समझता हूं कि इस तरह की व्यवस्था इस में नहीं रखनी चाहिए । अगर इस संस्था का कोई निश्चित कोष हो जाये या उस का कोई व्यवसाय का तरीका निश्चित हो जाये, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है । यह कहा गया है कि लोगों से डोनेशन्ज़ की रकम आयेगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस संस्था की कोई निश्चित आमदनी नहीं है, तो फिर उस के खर्च की इस तरह से व्यवस्था करना ठीक मालूम नहीं होता है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का रूप ऐसा होना चाहिए, जिस से सभी प्रदेशों को इस के द्वारा बल मिले । मैं जानता हूं कि जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं, वे हिन्दी जुबान के विरोधी नहीं हैं बल्कि उन के व्यक्तिगत स्वार्थ हैं और उन के मस्तिष्क में राजनैतिक उद्देश्य

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

हैं, जिन के कारण वे इस का विरोध करते हैं। प्रान्तीय भाषायें अपने स्थानों पर रहें और उन को पूरा प्रोत्साहन मिले, लेकिन राष्ट्र-भाषा हिन्दी के लिये तो केन्द्रीय सरकार को सदन के सामने एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल यह हो कि हिन्दी भाषा को उसके विद्वानों के द्वारा हर तरह से प्रोत्साहन मिले ।

जब केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक कानूनी रूप दे दिया है, तो यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिन्दी की कोर्स की किताबों पर उस का नियंत्रण हो । कई स्थानों पर साधारण हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वह हिन्दी प्रयोग में लाई जाती है, जिस को क्लिष्ट हिन्दी कहते हैं । इन सब बातों का नियंत्रण इस संस्था के द्वारा किया जा सकता है । इस संस्था के द्वारा सरकारी काम में आने वाली पुस्तकें भी तैयार करवाई जा सकती हैं ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य लिए जा रहे हैं, उन को बहुत देख भाल कर लिया जाये, ताकि दोबारा इस में दलबन्दी न आ जाये ।

श्री बिशनचंद्र सेठ (एटा) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं । दो एक बातें हैं, जिन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी की जो सेवायें की हैं, उन पर पूर्व वक्ताओं ने काफी रोशनी डाली, इस बारे में मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता । मैं केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा जी की बहुत बड़ी सेवा हिन्दी के क्षेत्र में रही है साथ ही जितने भी बड़े-बड़े विद्वान संसार में हुए हैं, उन सभी ने इस बात को मान्यता दी है कि जिस देश की निज की कोई भाषा नहीं, उस देश में स्वाभिमान कभी भी जागृत नहीं हो सकता है । यह जो मूल तत्व है मानव जीवन का, इसकी ओर हमें अनिवार्य ध्यान देना चाहिये । मैं समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा विश्वासघात इस देश के साथ अगले सैशन में क्यों होने जा रहा है । आदरणीय टंडन जी ने अपना जीवन लगा कर जिस रेजोल्यूशन को इस सदन में पारित कराया, आज उन टंडन जी की आत्मा के खिलाफ

अध्यक्ष महोदय : सेठ साहब किसी शायर ने कहा है "मतर्स बलाए कि शव दर्म्यान अस्त" । अगले सैशन में आने वाली बात से आप क्यों डर रहे हैं ?

श्री बिशन चंद्र सेठ : मैंने सोचा था मौका मुनासिब है और मैं गुज़ारिश कर दूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल उसी का एक अंग है । कितना बड़ा विश्वासघात होने वाला है, इसको हमारे देश को सरकार को समझना चाहिये कि उसकी प्रतिष्ठा इसी बात में है कि इस सदन में जो भी चीज़ पास हो, उसको पूरी तरह से देश में मान्यता मिले । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप के हुक्म को मानते हुए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं ।

हां, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि पांच या दस साल हमारे विद्यार्थी जो अंग्रेज़ी पढ़ने में लगाते हैं और साथ ही साथ इतना ही समय कुछ हिन्दी पढ़ने में लगाते हैं तो उसके बाद कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि अपनी भाषा में जो दस साल लगाता है, उसको तो सर्विस में कोई स्थान नहीं दिया जाता है लेकिन जो एक विदेशी भाषा में इतना समय लगा देता है, उसकी बहुत भारी कद्र होती है । इसको देश का दुर्भाग्य न कहा जाये तो और क्या कहा जाये । इस

स्थिति का ग्रन्त होना चाहिये । इसको देखकर हैरानी होती है, ग्राश्चर्य होता है ।

ग्राज बार-बार दुहाई दी जाती है कि मद्रास वाले, बंगाल वाले हिन्दी का विरोध करते हैं । मैं ग्रापको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सभी लोग, यहां तक कि मद्रास वाले ग्रौर बंगाल वाले भी इसके विरुद्ध नहीं हैं । मैं वहां गया हूं ग्रौर देखा है । जैसे पूर्व वक्ताग्रों ने ग्रापके सामने निवेदन किया सत्यता से यह दुःख की बात है कि राजनीतिक कारणों से ही वहां विरोध हो रहा है, जो हमारे सामने है । वस्तुतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा जितने विद्यार्थी पास किये गये हैं, उन में मद्रास ग्रौर बंगाल के विद्यार्थियों की संख्या ही सब से ग्रधिक है । ऐसी स्थिति में कौन सा सबूत है कि इन प्रान्तों में हिन्दी को मान्यता नहीं मिली है ।

इसी के साथ-साथ मैं एक ग्रौर निवेदन कर देना चाहता हूं । हिन्दी का, ग्रगर सत्यता से हमारे ग्रादरणीय मंत्री जी स्वागत करें, तो मेरा विश्वास है जितनी शिकायत हम सब को है, उस में कोई ग्रंश भी शेष न रहेगा । मगर बात इसके बिल्कुल विपरीत है । हिन्दी के लिए सत्यता से कोई भी स्थान नहीं है । सर्विस के लिए जो लोग जाते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, तब उन्हें फार्म ग्रंग्रेज़ी में दे दिये जाते हैं

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री में सत्यता नहीं है या इरादा नहीं है ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : ग्रापने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया । ग्रगर मैं यह कह दूं कि कैबिनेट का इरादा नहीं है तो ज्यादा मुनासिब होगा । माननीय मंत्री जी को मैं छोड़ देता हूं ।

हिन्दी का कभी भी किसी भी भाषा-भाषियों ने विरोध नहीं किया है । हमारे देश में सोलह राज्य हैं । जिन राज्यों की जो भाषायें हैं, यह देख कर हम सभी को संतोष होगा कि उन का ग्रधिक से ग्रधिक प्रचार हो ग्रौर यह होना भी चाहिये । ग्रधिक से ग्रधिक उनको मान्यता मिलनी ही चाहिये । परन्तु सारे देश के लिए एक ऐसी भाषा की हमें ग्रावश्यकता है जो सभी जगह बोली जाती हो । यह कहते हुए हमें गर्व का ग्रनुभव होता है कि चाहे किसी भी देश के भाग में ग्राप चले जायें, हिन्दी बोलने वालों को कोई कष्ट नहीं होगा । तीर्थ करने के लिए जो लोग जाते हैं ग्रौर जो हिन्दी नहीं जानते हैं, उनको भी कोई कष्ट नहीं होता है । मद्रास के लोग ग्राते हैं, दूसरे प्रान्तों के लोग हरिद्वार, गोला गोकरनाथ इत्यादि में ग्राते हैं, ग्रौर कहीं भी हम ने नहीं देखा या सुना कि एक प्रांत का यात्री दूसरे प्रांत में जाने के बाद भाषा न जानने के कारण, भोजन से वंचित रह गया हो, उसको सामान न मिला हो या कोई दूसरी चीज़ न मिली हो । ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ पाता कि हिन्दी की उपेक्षा क्यों की जा रही है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय नीति का ही यह दुष्प्रभाव है कि ग्राज भी हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान नहीं दिया गया ग्रौर ग्रंग्रेज़ी ही उस स्थान पर जम कर बैठी हुई है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : ग्रध्यक्ष महोदय,

ग्रध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ कह दिया गया है, ग्रब माननीय सदस्य मुख्तसिर ही बोलें ।

श्री राम सेवक यादव : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । लेकिन साथ ही साथ दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ग्राजादी के पंद्रह वर्ष बीत गये हैं ग्रौर ग्राज तक हमारी राष्ट्रीय भाषा में इस सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है ग्रौर

[श्री रामसेवक यादव]

सम्मेलन विधेयक इस का ताज़ा मामला है, जोकि हिन्दी से ही सम्बन्धित है।

जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो स्वतंत्रता संग्राम के जो कर्णधार थे उन्होंने यह महसूस किया था कि अपनी भाषा या राष्ट्र-भाषा की कितनी अधिक आवश्यकता है और उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ साथ भाषा के सवाल को भी अपने हाथों में लिया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन उन्हीं की देन है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पीछे स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन और राष्ट्रपिता गांधी जी का भी हाथ था और उनको भी सम्मान का स्थान प्राप्त था। इस सम्मेलन ने राष्ट्र भाषा के प्रचार के बारे में देश में बहुत काम किया है और उसकी इस कार्य के लिए जितनी सराहना की जाये थोड़ी है। आज हम आजाद हैं और आज जितनी इस संगठन की आवश्यकता थी, उससे वह कहीं अधिक बढ़ जानी चाहिये थी इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाना चाहिये था लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि जो कर्णधार आजादी की लड़ाई में लड़े थे, और जो तब भाषा की आवश्यकता को महसूस करते थे, वे आज बदल गये हैं और अब वे अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देने लग गये हैं और राष्ट्र भाषा या प्रान्तीय भाषाओं का महत्व, उनकी आवश्यकता उनके सामने कम है। यही कारण है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बजाय काम करने के आपसी झगड़े खड़े हो गये हैं। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आज उसके सामने जैसा आजादी के समय काम था, उस तरह का नहीं रह गया है। चारों तरफ अंग्रेजियत का वातावरण दिखाई देता है।

श में जबरदस्त प्रश्न खड़ा हो गया ड़ और वह यह ड़ै कि जो यह प्रचार होता है खास तौर पर दक्षिण भारत में हिन्दी के इम्पीरियलिज्म का, हिन्दी के वर्चस्व का उसके मूल में क्या है। जो असल सवाल है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। आज असल में सवाल अंग्रेजी का और देश की अन्य भाषाओं का है, क्षेत्रीय भाषाओं का है, राष्ट्रभाषा का है। आज हिन्दी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल पैदा करके जनता के सामने रखा जा रहा है। इसी कारण से यह विरोध नज़र आता है। यदि इस सवाल को हम ठीक से जनता तक ले जाय, चाहे फिर मद्रास की जनता हो या मसूर की हो, तमिल-नर्डा की हो या अन्य प्रदेशों की हो, तो कोई भी विरोध नज़र नहीं आयेगा। इस हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी भी हो सकता है। दरअसल कुछ मुट्ठी भर लोग ही विरोध का प्रश्न पैदा करते हैं और वे अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए ही ऐसा करते हैं। कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग हैं जो इस प्रश्न को उठाते हैं और उठा करके देश में एक तरह का आपसी विरोध पैदा करते हैं।

15.47 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज संकटकाल में हमको ज्यादा इंजीनियर्ज चाहियें, ज्यादा डाक्टर चाहियें, ज्यादा टेक्नीशियन चाहियें। कैसे हम अपनी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं जब हम एक विदेशी भाषा के साथ चिपके हुए हैं। इस विदेशी भाषा को एक परसेंट या अधिक से अधिक डेढ़ परसेंट लोग ही जानते हैं। किसी भी देश का उत्थान, किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश की प्रगति उसकी अपनी जुबान के ज़रिये ही हो सकती है, विदेशी भाषा के जरिये नहीं हो सकती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जबकि हम संकटकालीन स्थिति में से हो कर गुजर रहे हैं, तब एक ओर तो हम इस विधेयक को लाते हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के

बारे में विधेयक लाते हैं जिस संस्था का मुख्य कार्य ही हिन्दी का प्रचार करना है, राष्ट्र भा ा का प्रचार करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी ओर यह कह दिया जाता है कि सरकार ने या मंत्रीमंडल ने यह निश्चय किया है कि सन् १९६५ के बाद भी अंग्रेजी सहभाषा के रूप में राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ बनी रहेगी । ससे यही जाहिर होता है कि इरादा कुछ और ही है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी सहभाषा के रूप में बनी रहेगी तो जिस तरह से खोटे सिक्के का काम होता है कि जब कोई आदमी बाजार जाता है, एक अच्छा सिक्का लेकर और दूसरा नकली सिक्का या खोटा सिक्का लेकर तो उसकी यही चेष्टा रहती है कि नकली सिक्के को चलाया जाए, असली सिक्के को अपनी जेब में ही रखा जाए, वही चेष्टा अंग्रेजी की रहेगी। तो जब तक यह खोटी अंग्रेजी रहेगी तब तक असली हिन्दी का कभी प्रचार हो नहीं सकता, राष्ट्र भाषा का प्रचार हो नहीं सकता। मैं चाहूंगा कि जहां हम आज इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई भी दूंगा, निवेदन है कि सरकार इस संकटकालीन स्थिति में अंग्रेजी को हिन्दी की सहभाषा बनाने का विधेयक लाने की हठवादिता को छोड़ दे। समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या प्रधान मंत्री अंग्रेजी को चीन से लड़ने वाला हथियार समझते हैं कि वह और सब काम काज छोड़ कर इसके पीछे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि वह ऐसी हठ-वादिता न करें, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह दोषी होंगे और इस समय जो देश में शान्ति और एकता कायम है उसमें विघ्न डालेंगे और देश में ृह युद्ध का सा वातावरण खड़ा कर देंगे।

तो मैं आज आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जब सरकार हिन्दी साहित्य समेलन संशोधन विधेयक लायी है तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ईमानदारी से इसको चलावे और इस तरह की हठवादिता को छोड़े कि अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में कायम रखा जाए। सरकार को अपनी यह हठवादिता खत्म करनी चाहिए। ऐसा होगा तभी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

श्रीमती सरोजनी महिषी (धारवाड़-उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी तो राष्ट्र भाषा नहीं बन सकी और बन भी नहीं सकती थी। अंग्रेजी राज्य भाषा बन गयी इसलिए यह आशंका होती थी कि यह राष्ट्र भाषा भी बन सकेगी। लेकिन अब तो हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। राज्य भाषा न बनने के कारण उसको इतना प्राधान्य नहीं मिला था।

लेकिन स्वातंत्र्य के बाद तो हमने अनुभव किया कि हिन्दी के बिना और हिन्दी को राष्ट्र भाषा के तौर पर और राज्य भाषा के तौर पर प्राधान्य दिए बिना हमारी राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए स्वातंत्र्य के बाद जो हिन्दी प्रचार की संस्थाएं थीं जैसे दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा तथा उत्तर भारत में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इनको बड़ा प्राधान्य मिला और इनका महत्व भी बढ़ा। इनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस बारे में भी कोई शक नहीं है। हमारे संविधान की जो विशिष्ट धारा है उसमें कहा गया है कि सरकार का सारा व्यवहार हिन्दी में हो। उसमें कहा गया है :

"Either in Hindi or in English. After a period of 15 years from the commencement of the Constitution the article will be read as

[श्रीमती सरोजिनी महिषी]

if the words 'in English' are omitted."

इससे मालूम होता है कि १५ वर्ष के बाद हिन्दी को अधिक प्राधान्य मिल सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि १५ वर्षों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। फिर भी हिन्दी की प्रगति करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उसका अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त हो चुकी है। फिर भी हम देखते हैं कि प्रगति नहीं हो सकी है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जनता ने इसमें अधिक रुचि नहीं ली है या यह कारण भी हो सकता है कि इन संस्थाओं का काम ठीक तरह से नहीं हो सका है।

कई वर्षों से इलाहाबाद का हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपना काम नहीं कर पा रहा है। यह अफसोस की बात है कि पिछले साल इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के तौर पर मान्यता मिल जाने पर भी यह अपना काम नहीं कर पा रही है। अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि कई वर्षों से यह संस्था काम नहीं कर सकी है। फिर भी इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि यह संस्था काम नहीं कर सकी। इसका अर्थ तो यह है कि यह मान्यता मिलने पर भी इसको पूरा प्रोत्साहन नहीं मिला। इसका एक कारण इसके अन्दर का संघर्ष भी हो सकता है और अन्य कारण भी हो सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि स्वातंत्र्य के पहले उसके सामने जो काम था वह आज कल उसके सामने नहीं है और इसीलिए इस संस्था में संघर्ष पैदा हो रहा है। यह कारण हो सकता है और यह भी कारण हो सकता है कि पुराने सदस्य स्वातंत्र्य के पूर्व जिस ढंग से सोचते थे आज उस ढंग से नहीं सोच सकते और नए मूल्यों को नहीं अपना सकते, इसलिए भी उसका काम नहीं हो रहा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें गुटबन्दियां हैं। इस कारण काम नहीं हो पाता। मैं समझती हूं कि हर संस्था के अन्दर कुछ न कुछ संघर्ष तो होता ही है। फिर भी उस संघर्ष के रहते हुए भी हमको सोचना पड़ता है। यह बड़ी संस्था पिछले कई दर्शकों से न केवल उत्तर भारत में वरन् दक्षिण भारत में भी काम कर रही है और इसने बहुमूल्य सेवा की है। जिस संस्था ने स्वातंत्र्य के पहले इतनी सेवा की है उसको स्वातंत्र्य के बाद और अधिक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए था।

इस संस्था का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसका काम केवल परीक्षाओं को चलाना, किताबों का प्रकाशन या किताबें लिखने वालों को मंगला प्रसाद पारितोषिक देने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसको प्रान्तीय भाषाओं में समन्वय लाने की भी कोशिश करनी चाहिए जैसे कि साहित्य अकादमी करती है। इस प्रकार इसका कार्यक्षेत्र बढ़ सकता है और ऐसा हो जाए तो मैं समझती हूं कि यह संस्था अच्छा काम कर सकती है।

हमारे सामने जो विधेयक है उसमें एक धारा मुख्य है। पिछले साल इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कानून को पास करते वक्त हमारे सामने सदस्यों की पूरी सूची नहीं थी।

"adequate list was not available"

इसलिए कुछ लोगों का प्रवेश सदस्यों के तौर पर इस संस्था में नहीं किया गया। ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। लेकिन

उनके नामों की सूची नहीं मिली इस लिए उनका प्रवेश नहीं हो सका इसका समर्थन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा गया है :

"For certain administrative reasons however it was felt that all the categories of members of the society should not automatically be the first members of the Sammelan".

इससे स्पष्ट है कि सामान्य सदस्य इस सम्मेलन के सदस्य न बन सके इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी थे। यह भी हो सकता है कि जब पुराने सदस्य नए सदस्य बनते हैं तो संस्था की ग्राय भी बढ़ जाती है क्योंकि नए सदस्य नया चन्दा देंगे। फिर भी इन पुराने सदस्यों ने इस तरह सोचा कि हमको दोबारा सबस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, उसके बिना ही हमको प्रवेश मिलना चाहिए, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए उन्होंने ग्रदालत में ग्ररजी पेश की ग्रौर यह फैसला किया गया कि उन लोगों का यह मूलभूत ग्रधिकार है। इसलिए मैं समझती हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है यह संस्था की गतिविधियों में ग्रौर उसके कार्य में ज्यादा सुविधा लाने के उद्देश्य से लाया गया है। ग्रब मामली सदस्यों का प्रवेश मिल गया। मैं समझती हूं कि इसके बाद तो संस्था ग्रच्छी तरह चल सकेगी। ग्रॉरिजिनल ऐक्ट में क्लाज ९ में कहा गया है :

"Members shall be paid out of the fund of the Sammelan such allowances as may be prescribed and until so prescribed as may be specified by the Central Government in this behalf".

केन्द्रीय सरकार का हाथ भी इसमें है ग्रौर केन्द्रीय सरकार चाहती है कि यह संस्था ग्रच्छी तरह काम करे ग्रौर सरकार की इसके साथ सहानुभूति है, इसलिए मैं समझती हूं कि इसके बाद यह संस्था ग्रच्छी तरह काम कर सकेगी।

माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है कि कंसालिडेटेड फंड से वेतन वगैरह दिया जाएगा। लेकिन मैं समझती हूं कि जिस तरह इस तरह की ग्रन्य संस्थाग्रों को मदद मिल जाती है, सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक संस्थाग्रों को ग्रांट्स इन एड मिल जाती है ग्रौर दूसरे वालंटियर इंस्टीट्यूशन्स को जिस तरह मदद मिल जाती है, उसी तरह इस संस्था को भी मदद मिल जाएगी। लेकिन केवल कंसालिडेटेड फंड से दिया जाएगा, यह तो गलत भावना है। डोनेशन्स भी हो सकते हैं, कांट्रीब्यशन्स भी हो सकते हैं ग्रौर हिन्दी के चाहने वाले लोग भी हैं जो मदद दे सकते हैं। इस लिए हैं मैं चाहती हूं कि यह संस्था ग्रपने कार्य को ग्रधिक फैलावे ग्रौर इसके साथ जो सरकार की सहानुभूति है उसका इस्तैमाल करे।

मैं ग्राशा करती हूं कि यह संस्था बहुत प्रगति करेगी।

16 hrs.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं हिन्दी के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालन की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के ग्रान से पहले क्या इस देश की राष्ट्रभाषा ग्रंग्रेजी थी। मुसलमानों के ग्राने के साथ उर्दू ग्राया ग्रौर ग्रंग्रेजों के साथ यह इंगलिश ग्राई ग्रौर तब से ही यह इस देश में प्रचलित हुई। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि ग्राज पढ़ने वाले लड़कों में से पचास परसेंट से भी ऊपर इंगलिश में फ़ेल होत हैं। ग्राज-कल स्थिति यह है कि ग्रगर किसी बी० ए० पास लड़के को भी ग्रंग्रजी में कोई एप्लिकेशन लिखने के लिए कहा जाय, तो वह भी उस को शुद्ध नहीं लिख सकता है, क्योंकि वह उस की मातृभाषा नहीं है।

यह कहा जाता है कि इंगलिश ऐसी भाषा है, जिस को छोड़ देने से हमारी टेक्निकल

[श्री विश्राम प्रसाद]

प्रगति में दिक्कत होगी। जिस वक्त इस देश में वाण और विमान बनाए जाते थे, तो उस वक्त यहां पर कौन सी इंगलिश थी? हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे टेक्निकल आदमी हैं, जिन का अंग्रेज़ी का ज्ञान अच्छा नहीं है और इस लिए वे अच्छी टक्निकल किताबें नहीं लिख सकते हैं। पैदा होन के बाद बच्चा हिन्दी या अपनी मातृभाषा पढ़ता है। आप शब्दों को ले लीजिए। बी यू टी तो बट होता है, लेकिन पी यू टी पुट होता है। उन के उच्चारण में बहुत फ़र्क़ है। शब्द "नालेज" को इस प्रकार लिखा जाता है। के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। बच्चे बीस दफ़ा उस को रटते हैं, लेकिन फिर भी उन की स्पेलिंग शुद्ध नहीं होती है।

अंग्रेजों ने अपने देश की शिक्षा को यहां पर प्रचलित करने के लिए अंग्रेज़ी माध्यम रखा और यह निश्चित किया कि जो अंग्रेज़ी पढ़ेगा, उस को नौकरी मिलेगी। क्या यह सरकार यह नहीं कर सकती थी कि हम इस देश में हिन्दी माध्यम रखेंगे और जो हिन्दी जानता होगा, उस को ही नौकरी दी जायगी? अगर हिन्दी को बढ़ावा देना है, तो उस को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हिन्दी चल सकती है। लेकिन आज-कल जो खिचड़ी-भाषा की पद्धति चल रही है, वह ठीक नहीं है। आज-कल कहा जाता है कि आधी हिन्दी पढ़ो और आधी अंग्रेज़ी पढ़ो और इस का परिणाम यह है कि विद्यार्थी न तो हिन्दी पढ़ सकते हैं और न अंग्रेज़ी और वे किसी भी विषय के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं।

एक दफ़ा हम लन्दन की सड़क पर घूम रहे थे वहां पर दो हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ी में बात-चीत कर रहे हैं। एक अंग्रेज़ ने हंस कर कहा कि यह कितने शर्म की बात है कि जब हिन्दुस्तानी आपस में मिलते हैं, तो भी इंगलिश में ही बात करते हैं। यहां की मातृभाषा हिन्दी है, लेकिन उस को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। केवल दिखाने के लिए कहा जाता है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है। पहले यह निश्चय किया गया था कि १९६५ के बाद हिन्दी चलेगी और अब कहा जा रहा है कि १९७५ के बाद चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कोई देश अपनी मातृभाषा को नहीं अपनाता है, तब तक वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, चाहे किसी मायने में देख लिया जाये, चाहे साईन्स के क्षेत्र को देखा जाय या किसी और क्षेत्र को। अंग्रेजी के शब्द "एक्सीक्यूटिव इंजीनियर" को देख लीजिये। उस की हिन्दी है "अधिशासी अभियन्ता"। अगर एक लड़का पांच साल इंगलिश पढ़ने में लगाएं और वही लड़का पांच साल हिन्दी में लगाए, तो वह हिन्दी का ज्यादा अच्छा ज्ञाता हो सकता है बनिस्बत इंगलिश के। अगर सरकार यह कह दे कि केवल इंगलिश ही पढ़ाई जाये और हिन्दी या कोई प्रादेशिक भाषा नहीं पढ़ाई जायगी, तो भी देश के बच्चे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और देश कामयाब हो सकता है। १९६५ के बाद भी अंग्रेज़ी को बनाए रखने के लिए जो विधेयक आने वाला है, उससे अच्छा तो यह हो कि यह सदन पास कर दे कि इस देश की राज भाषा इंगलिश रहेगी। हिन्दी या दूसरी लोकल लग्वेजिज़ को रखने से क्या फ़ायदा? सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही रखी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी रीयल सेन्स में हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वह इस देश में हिन्दी की ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक एक बहुत ही सीधा-सादा विधेयक है। इस में अधिक बहस की गुंजायश नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम लोगों को अपने विचारों को रखने का मोका मिलता है, तो संगत हों या असंगत, हम रख ही देते हैं। इस बहस में बहुत सी ऐसी बातें कही गईं, जिन का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। कु

राजनैतिक दृष्टिकोण से कुछ दलगत ष्टिकोण से और कुछ सरकार को बदनाम करने के ष्टिकोण से भी बातें कही गई हैं। मैं बहुत ग़ौर से माननीय सदस्यों की स्पीचों को सुन रहा था। यह कहा गया कि न मद्रास में और न बंगाल में, कहीं भी हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। हम ने कई बार देखा कि...

Mr. Deputy-Speaker: This is not about the English-Hindi controversy at all. This is just a simple bill to amend the original Hindi Sahitya Sammelan Act.

Shri D. N. Tiwary: But many things have been said. I want to reply to them.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member need not reply to them.

श्री हरि विष्णु कामत: जो नियम अन्य सदस्यों पर लागू है, वही उन पर लागू होना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Because some other Members have referred to it, does not mean that the hon. Member should also commit the same mistake.

श्री द्वा० ना० तिवारी: चूंकि और लोगों को एलाऊ किया गया, तो मुझे भी एलाऊ किया जाये, ताकि मैं उन को जवाब दे सकूं।

श्री हरि विष्णु कामत: पक्षपात करना ठीक नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी: बंगाल और मद्रास में हिन्दी का विरोध अधिक है, लेकिन कहा जाता है कि इस का विरोध कहीं नहीं है। संसद् में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई और हम लोगों ने देखा कि मद्रास या साउथ से और बंगाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने हिन्दी का विरोध किया और कहा कि हिन्दी को अभी राज-भाषा या राष्ट्र-भाषा न बनाया जाये। मैं मानता हूं कि इस में कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण भी है। हम जानते हैं कि श्री राजगोपालाचारी हिन्दी के इतने समर्थक थे और उन की वजह से मद्रास में बहुत ोरों से हिन्दी चली, हिन्दी की कई परीक्षाय हुई–वे अब भी होती हैं और लोग वहां ज्यादा संख्या में हिन्दी सीखते हैं—लेकिन फिर भी उन्होंने हिन्दी का विरोध किया। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि इस में राजनैतिक दृष्टिकोण है। वे समझते हैं कि हिन्दी के सरकारी भाषा हो जाने के बाद शायद मद्रास या दक्षिण के और प्रदेशों का सर्विसिज में महत्व कुछ कम हो जायगा और वहां के कम लोग आल- ंडिया सर्विसिज में आयेंगे।

अगर हम लोग और यह सरकार यह चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन जाए और सब लोग इस भाषा में काम करें, तो हम सबको उस मूल कारण को दूर करना है, जिस को ले कर हिन्दी का विरोध होता है। हम लोगों को यह तय कर देना चाहिए कि आल-इंडिया सर्विसिज में अमुक प्रान्त के इतने लोग रहेंगे और इस प्रकार हर एक प्रान्त का परसंटेज तय कर देना चाहिए। इस का परिणाम यह होगा कि अगर हिन्दी-भाषी प्रान्तों के लोग हिन्दी की परीक्षा दूसरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह भी पास कर लगे, तो भी उन को अपने परसेंटेज से अधिक स्थान नहीं मिल सकेंगे। अगर दूसरों के हिन्दी के ज्ञान में कोई न्यूनता या कमी भी रही और अगर वे अंग्रेजी अच्छी जानते हों, तो उन को भी सर्विस मिल जायगी। इस लिए मैं समझता हूं कि विभिन्न प्रदेशों का सर्विसिज में परसंटेज तय कर देने से हिन्दी का विरोध कुछ कम हो जायगा और राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों का विरोध तो एक-दम कम हो जायगा। इस तरह हम लोग भी बदनाम नहीं होंगे, जो कि हिन्दी के समर्थक हैं और जिन के बारे में कहा जाता है कि ये हिन्दी इम्पीरियलिस्ट्स और फ़ैनेटिक्स हैं और ये हिन्दी की ज्यादा बुराई कर रहे हैं बनिस्पत भलाई के और ये हिन्दी को प्रगति नहीं होने देना चाहते हैं, आदि। इस प्रकार दूसरे लोगों को भी संरक्षण मिल जायेगा और हिन्दी की भी प्रगति होगी।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

जिस मूल कारण से हिन्दी का विरोध हो रहा है, उस को दूर करना जरूरी है, अन्यथा गवर्नमेंट और मंत्री महोदय के चाहने पर भी हिन्दी की अधिक प्रगति नहीं हो सकती है। इस लिए हम लोगों को मूल कारण को हटा देना होगा, तभी हम लोग प्रगति कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं व्यवस्था के मुद्दे पर आप का आदेश चाहता हूं—मैं एक प्वायंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं। इस समय जब कि शिक्षा मंत्री महोदय बहस का जवाबी भाषण करने जा रहे हैं, इस सदन में संसत्सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपस्थित नहीं है। इस सदन में न्यूनतम संख्या, क्वोरम, होना चाहिए। उस की व्यवस्था की जाये।

Mr. Deputy-Speaker: Let the bell be rung.

Dr. Melkote (Hyderabad): I want to say a few words.

Mr. Deputy-Speaker: While the bell is being rung, he may a few words.

डा० मेलकोटे : यह जो एमेंडिंग बिल लाया गया है, इस का मैं स्वागत करता हूं। इसका स्वागत करते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सम्मेलन को एक नेशनल इंस्टीट्यूशन घोषित किया गया है, इसी के साथ साथ दक्षिण में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा है जोकि तकरीबन चालीस साल से काम करती आ रही है, लेकिन उस के द्वारा जो एग्जेमिनेशन वगैरह होते हैं, उस को आज तक भी जिस तरह से हिन्दुस्तान में मान्यता मिलनी चाहिये थी नहीं मिली है और इस ओर ध्यान दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। दक्षिण के बहुत से माननीय सदस्य यहां पर हैं और उन में से कम से कम ६० या ७० परसेंट हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं और बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं लेकिन उत्तर के जितने माननीय सदस्य हैं, उन से मैं पूछना चाहता हूं कि वे कोई भी दक्षिण की भाषा किसी हद तक जानते हैं।

जहां तक इम्तिहानों का सम्बन्ध है, दक्षिण के लोगों के बारे में यह तो कहा जा सकता है कि उन का स्टैंडर्ड शायद कम होगा। लेकिन यह उसी तरह से है जिस तरह से हिन्दुस्तान के लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और ग्रेजुएट बनते हैं, उन का विलायत या इंग्लैण्ड के ग्रेजुएट से स्टैंडर्ड कम होता है। उन का विलायत वालों के बराबर स्टैंडर्ड शायद नहीं होगा। इसी तरह से दक्षिण में हिन्दी का स्टैंडर्ड वैसा न रहा हो जैसा होना चाहिये तो भी वहां की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को जितनी मान्यता दी जानी चाहिये उतनी मान्यता अगर नहीं दी जाती है तो वहां के लोगों को इस से दिलचस्पी उस हद तक नहीं हो सकती है जिस हद तक कि होनी चाहिये। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि उन की हर प्रकार से मदद की जाय। इस वास्ते मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द वह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के एग्जेमिनेशंज को मान्यता दें और इस सदन में एक नया बिल यदि वे पेश करें तो बहुत ही अच्छा होगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस का बहुत ही सीमित सा लक्ष्य है और जो संशोधन मैंने पेश किये हैं, उन के संबंध में जहां तक मैं समझ पाया हूं कोई विवाद नहीं है। जो प्रश्न उठा वह हिन्दी अंग्रेज़ी का उठा है और कहा गया है कि हिन्दी की प्रगति काफी नहीं हो रही है। ये सब प्रश्न इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं। जब कभी हिन्दी भाषा का प्रश्न आता है तो चूंकि वह भावनाओं से सम्बन्धित है, इसलिए स्वभावतः वह प्रश्न उठ जाता है। परन्तु जहां तक इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन बिल का सम्बन्ध है और जो संशोधन सदन के सामने रखा गया है, उस का लक्ष्य बहुत ही सीमित है।

दो एक माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें उठाई हैं । उन के अलावा जो बहस हुई है उस सब का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए मैं केवल उन्हीं सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं और बाकी जो प्रश्न उठाये गये हैं मैं समझता हूं उन का उत्तर इस वक्त देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

एक प्रश्न माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी ने उठाया है । उन्होंने कहा है कि ऐसा न हो कि इस बिल के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन दासी बन जाये । मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट का यह कभी मंशा नहीं है कि वह अपना आधिपत्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर जमायें या किसी और तरह से उस के ऊपर दबाव डाले । हमारी कोशिश यह है कि जो सेवा हिन्दी साहित्य सम्मेलन कर रहा था हिन्दी जगत में, हिन्दी के क्षेत्र में, वह सेवा वह करता चला जाये । जो बिल आप के सामने रखा गया है उस का मंशा भी यही है कि गवर्निंग बाडी या प्रबन्ध समिति जो नियुक्त की गई है, छः महीनों में वह एक विधान बनाये, सारे नियम वगैरह जब बन जायें तो यह गवर्निंग बाडी या प्रबन्ध समिति खत्म हो जाय और उस के बाद नया विधान चालू हो जाये । गवर्नमैंट का कोई मंशा नहीं है कि वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे उस संस्था के काम में क्योंकि हमारा विश्वास है कि जो इस तरह की संस्थायें होती हैं, उन को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिये । जितना भी रचनात्मक काम होता है उस में गवर्नमैंट का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये । जहां अराजकता हो जाये, जहां धन का दुरुपयोग हो जाये, जहां अपने लक्ष्य से संस्थायें च्युत हो जायें तो फिर सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उन को ठीक रास्ते पर लाये । जो इस वक्त विधेयक लाया गया है, उस का भी मंशा यही है कि यह संस्था काम करती रहे । चूंकि यह संस्था अपने उद्देश्य से च्युत हो गई थी, इस वास्ते विधेयक लाना पड़ा । ज्योंही इस का विधान बन जायेगा, काम इस संस्था को सौंप दिया जायेगा ।

दो एक बातें उठाई गई हैं और कहा गया है कि पुराने मेम्बर क्यों हों । जब सम्मेलन को वापिस जीवित करना है तो जो पुराने मेम्बर हैं, उन को देखना पड़ेगा और इसी दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है । मुझे बड़ी खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस का स्वागत किया है और इस के लिए मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

दो एक अमेंडमेंट्स भी रखी गई हैं । श्री कामत जो संशोधन पेश कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वह उन पर ज्यादा ज़ोर नहीं डालेंगे क्योंकि जहां तक एक शब्द का प्रश्न है "इम्मिडियेटली", हमारी मंशा यह है कि जितने भी प्रेज़ीडेंट्स हैं पुराने और जितने लोगों को मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला है वे सभी इस के सदस्य हों और ऐसी सूरत में इम्मिडियेटली शब्द लगाने से कोई लाभ नहीं है ।

दूसरे जहां तक सेलेरी का प्रश्न है, कोई सेलेरी दे दगे, ऐसा नहीं है । सिर्फ उसके लिए प्राविज़न रखा गया है । छः महीने में या जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस गवर्निंग बाडी का काम खत्म हो जाये, ऐसी हम आशा करते हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो नया रूप बनने वाला है, उस में वह अपना काम ठीक तरह से कर सके, इसी दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको अपनी अनुमति देगा और इसको पास कर देगा । हिन्दी साहित्य सम्मेलन फिर से जिस तरह से उसने पुराने जमाने में सेवाय की हैं, वैसी ही सेवायें करे और उसके मार्ग में कोई बाधाय उत्पन्न न हों, ऐसी हम सब को आशा करनी चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to amend the Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962

as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up clause-by-clause consideration.

Clause —(*Amendment of section* 4)

श्री हरि विष्णु कामत: उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मूल विधयक अंग्रेजी में है, इसलिए मेरा संशोधन भी अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही है। उस संशोधन को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वह इस प्रकार से है :

I beg to move:

Page 1, *for* lines 9 to 15, *substitute*—

(4) The first members of the Sammelan shall be all those persons who, immediately before the appointed day,—

(a) were members of the Society;

(b) have been Presidents of the Society; and

(c) were awarded the Mangla Prasad Paritoshik by the Society." (4)

मेरा संशोधन, उपाध्यक्ष महोदय, मूल जो विधेयक है, मूल जो कानून है, उस पर आधारित है। मूल कानून की जो धारा ४ है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसका आशय यह है :

"the first members of the Sammelan shall consist of persons who immediately before the appointed day . . .".

मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय इस तरफ गौर करें। जैसा शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा २ की जो वाक्य रचना है, वह दुरुस्त नहीं है और उस में काफी सुधार की गुंजाइश है। उस की एक वजह यह है कि इस में जो यह वाक्यांश है "before the appointed day" इस की दो बार पुनरावृत्ति हुई है। मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे। पहले अनुच्छेद (ए) में है "before the appointed day" फिर अनुच्छेद (बी) में है "before the appointed day" उस के बाद अनुच्छेद (सी) में है "before the appointed day"। इस पुनरावृत्ति के बजाय अगर यह वाक्यांश पहले ही आ जाय, जैसा कि मैंने प्रस्तुत किया है, अपने संशोधन में, तो मेरे खयाल से वह ज्यादा उचित और ठीक होगा। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं और पूरी आशा करता हूं, बल्कि विश्वास करता हूं, कि शिक्षा मंत्री महोदय और सदन उस को स्वीकार करेंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने तो इस का जवाब दे दिया था। मैं इस को इसलिये नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि जितने भी इस के भूतपूर्व प्रेजिडेंट हैं और जिन लोगों को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है, वे इस के सदस्य हैं। इसलिये यह शब्द बढ़ाने आवश्यक नहीं हैं। बल्कि जो मेरा संशोधन विधयक है वह पहले की भाषा से ज्यादा अच्छा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदस्य महोदय इस संशोधन पर ज्यादा जोर न दें।

Mr. Deputy-Speaker: Does he want me to put it to vote?

Shri Hari Vishnu Kamath: Yes, Sir. This shows the very unreasonableness of the Minister. This simplifies the language.

Shri U. M. Trivedi: This is unreasonable.

Shri Hari Vishnu Kamath: This is false prestige.

Shri S. M. Banerjee: It should be accepted.

Shri U. M. Trivedi: It is a question of pure English.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is a matter of English. The Prime Minister can decide it, if he kindly takes the trouble—we don't want to bother him.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put the amendment to the vote of the House. The question is:

Page 1,—

for lines 9 to 15 *substitute*—

"(4) The first members of the Sammelan shall be all those persons who, immediately before the appointed day,—

(a) were members of the Society;

(b) have been Presidents of the Society; and

(c) were awarded the Mangla Prasad Paritoshik by the Society." (4)

The Lok Sabha divided

Division No. 1] **AYES** [16.30 hrs.

Banerjee Shri, S.M.	Gupta, Shri Kanshi Ram	Ranga, Shri
Berwa Kotah, Shri	Gupta, Shri Priya	Singh, Shri Y.D.
Bhanu Prakash Singh, Shri	Kakkar, Shri Gauri Shanker	Swamy, Shri Sivamurthi
Buta Singh, Shri	Kamath, Shri Hari Vishnu	Trivedi, Shri U.M.
Deo Shri, P.K.	Lahri Singh, Shri	Yashpal Singh, Shri
Gulshan, Shri	Mohan Swarup, Shri	Vishram Prasad, Shri

NOES

Aney, Dr. M.S.	Laskar, Shri N.R.	Rao, Dr. K.L.
Bamiki, Shri	Laxmi Bai, Shrimati	Sahu, Shri Rameshwar
Birendra Bahadur Singh, Shri	Malaichami, Shri	Sanji Rupji, Shri
Brij Raj Singh, Shri	Maniyangadan, Shri	Shah, Shrimati Jayaben
Dafle, Shri	Melkote, Dr.	Shrimali, Dr. K.L.
Dasappa, Shri	Nehru, Shri Jawaharlal	Shukla, Shri Vidya Charan
Deo Bhanj, Shri P.C	Pandey, Shri R.S.	Sidheshwar Prasad, Shri
Desai, Shri Morarji	Patel, Shri Man Sinh P.	Singh, Shri D.N.
Deshmukh, Dr. P.S.	Patel, Shri N.N.	Singh, Shri K.K.
Dubey, Shri R.G.	Patel, Shri Rajeshwar	Singh, Shri R.P.
Guha, Shri A.C.	Patil, Shri T.A.	Sinha, Shri B.P.
Hazarika, Shri J.N.	Patil, Shri Vasantrao	Sinha, Shrimati Tarkeshwari
Kanungo, Shri	Prabhakar, Shri Naval	Swamy, Shri M.P.
Khadilkar, Shri	Raju, Shri D.B.	Tiwary, Shri D.N.
Lakhan Dass, Shri	Ranga Rao, Shri	Varma, Shri Ravindra
Lalit Sen, Shri		

Mr. Deputy-Speaker: The result of the Division is:

Ayes 18; Noes 46.

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 4.—(*Amendment of section 9*)

Shri Hari Vishnu Kamath: I beg to move:

Page 2,—

Omit lines 4 and 5. (1)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा संशोधन है वह अत्यन्त सरल, सहल और उपयुक्त है । इस संकटकालीन परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री ने अभी हाल में कई बार सलाह दी है कि खर्चा बढ़ाना नहीं चाहिये और भत्ते और

[श्री हरि विष्णु कामत]

वेतनों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये, और जब तक संकटकालीन स्थिति दुर्भाग्यवश जारी रहेगी, आप भी और सदन के सदस्य भी इस से सहमत होंगे कि वेतनों और भत्तों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये। ऐसा होना अनुपयुक्त है। मेरे संशोधन का आशय केवल इतना ही है कि इस विधेयक की धारा ४ के अनुच्छेद (२) में जो वेतन का उल्लेख है "सैलरीज आर अलाउंसेज आर बोथ" उस में से सलरी को हटा देना चाहिये। चूंकि इस सदन ने भी इस का फैसला किया है कि संकटकालीन स्थिति में इन भत्तों और वेतनों में कोई बढ़ती नहीं होनी चाहिये अतएव मेरा आप से निवेदन है और शिक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि इसे हटा दिया जाये, और मेरा अपना विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से श्री हरि विष्णु कामत ने संशोधन रखा है उस को मैं मानता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि एक संस्था का काम जब चलता है, जिस की शाखायें सारे देश में फैली हुई हों और परीक्षायें होती हों, तो सम्भवतया एक दो आदमी इस तरह के रखने पड़ें जिन को बराबर काम करना पड़े और वक्त देना पड़े। फिर उन के लिये कुछ तन्ख्वाह देना भी जरूरी हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वह इसे एक सार्वजनिक संस्था समझ कर अवैतनिक रूप से काम करें और इसी तरह से जो गवर्निंग बाडी के सदस्य हों वे भी अवैतनिक रूप से काम करें और उन को कुछ तन्ख्वाह देनी न पड़े, लेकिन यह एक एनेबलिंग प्राविजन है। छः महीने में यह गवर्निंग बाडी समाप्त हो जायेगी फिर सारी कार्यवाई और ढंग से होगी। फिर भी हम चाहते हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ठीक ढंग से काम कर सके। इस के लिये केवल प्राविजन रखा गया है। यह नहीं है कि हम तन्ख्वाह दे ही देंगे। जहां तक हो सके, हम आशा करेंगे कि लोग अवैतनिक रूप से काम करें, लेकिन अगर संस्था के हित में आवश्यक समझा गया तो हम तन्ख्वाह भी दे सकें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं : क्या मंत्री महोदय विश्वास दिला सकेंगे कि जब तक इमरजेंसी जारी रहेगी तब तक वेतन नहीं दिये जायेंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : काम देखा जायेगा। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि इमरजेंसी में भी काम का नुकसान न हो। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का काम होना जरूरी है। हम को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक हो सकेगा हम अवैतनिक रूप में इस काम को करवाएंगे।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर नहीं देना चाहता। वाइस वोट ले लिया जाये।

The Amendment No. 1 was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1—(*Short title*).

Amendment made:

Page 1, line 4,—

for "1962" *substitute* "1963" (2)

(*Dr. K. L. Shrimali*)

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Dr. K. L. Shrimali: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.32 hrs.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of Shri Morarji Desai, I rise to move:*

"That the Bill to provide for the establishment of a Corporation for granting medium and long term credit by way of refinance or otherwise, for the development of agriculture and for other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

This is not the first time that a Bill relating to agriculture finance is being brought before the House. Questions relating to rural credit, cooperative development, warehousing and the role of the Reserve Bank and State Bank in providing resources for the cooperative movement and for strengthening that movement generally have been brought up from time to time before this House and before the other House. After the publication in 1954 of the rural credit survey report, the House also had an opportunity of considering the entire range of problems relating to agricultural development, in connection with two Bills, which were subsequently accepted by it, one to amend the Reserve Bank of India Act for establishing the long-term operations and stabilisation funds and another to provide for the promotion of cooperative marketing and processing and the establishment of warehouses. More recently, the House has agreed, in partial modification of the arrangements which were made in 1956, to set up two independent corporate bodies to promote the development of cooperation particularly in the fields of processing and marketing, and the establishment and supervision of warehouses.

The present Bill seeks to create an altogether new institution. As this institution is going to be somewhat different from the All-India apex cooperative bank, which has been suggested from time to time in the past, and as the decision to establish this institution also involves, to some extent, a departure from the recommendations of the rural credit survey report, it may be helpful, if I were to indicate briefly the circumstances which, in our opinion, justify a new corporation.

As the House is aware, the need for medium and long-term credit for agricultural purposes has increased very considerably in the last few years. Although short-term credits for financing seasonal agricultural operations continue to be very important they are in effect annual loans which can be repaid or renewed when the seasonal operations are over and the harvests have been gathered. These loans are, by themselves, no longer adequate means to meet the growing requirements.

---

*Moved with the recommendations of the President.